[2019] 17 एस. सी. आर 856

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड।

वी.

कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

(2004 की सिविल अपील संख्या 3383)

04 दिसंबर, 2019

[अरुण मिश्रा, एम. आर. शाह और बी. आर. गवई, जे. जे.]

कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम, 1957:

एस। 5 सी आर/डब्ल्यू। भारत के संविधान के चार्टर पार्टी समझौते का Art.366 (29A) (d)-कंपनी द्वारा (जहाज का मालिक)

मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के साथ छह महीने की अवधि के लिए-राजस्व द्वारा अधिसूचना जिसमें कंपनी को खुद को पंजीकृत करने के लिए कहा गया है

कि उसने पोर्ट ट्रस्ट को अधिकार हस्तांतरित नहीं किए थे-अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर याचिका दायर करें कि यह अधिनियम भारत के क्षेत्रीय जल क्षेत्र तक नहीं फैला है और इसलिए राज्य कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं है-एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंड पीठ ने कंपनी के मामले को खारिज कर दिया। - उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः वर्तमान मामले के तथ्यों में, चार्टर पार्टी समझौता एक मानित बिक्री के समान है क्योंकि पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया गया था जैसा कि प्रदान किया गया था

Art.366 (29A) (d) r/w। 5 सी या एस। 2 (जे) अधिनियम के-यू/Art.366 (29 ए) (डी) के तहत शक्ति के भीतर लगाए गए कर की प्राप्ति के लिए, यह सामग्री नहीं है जहां माल पारित किया जाता है, लेकिन समझौते की स्थिति कर की प्राप्ति के लिए निर्धारक है-इस प्रकार, माल की डिलीवरी के स्थान को माल की बिक्री पर कर लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है-क्षेत्रीय जल के संबंध में तटीय राज्य की शक्ति के विस्तार के बारे में सवाल, भारत के संविधान को खुला छोड़ दिया गया है -

Art.366 (29A) (d)।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1.1 वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर में वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए कर शामिल है जैसा कि माना जाता है

एक बिक्री। जिन निविदा दस्तावेजों के अनुसार समझौता किया गया है, उनमें निविदाकारों के लिए शर्तें और निर्देश शामिल हैं। पूर्व-योग्यता मानदंड में यह प्रावधान है कि निविदाकर्ता को स्वामित्व या स्वामित्व के संबंध में दस्तावेज जमा करने होंगे।

नंगी नाव पर रस्साकशी का अधिकार/रस्साकशी के लिए चार्टर किराए पर लेना। यदि वह रस्साकशी का मालिक नहीं है, तो उसे यह साबित करने के लिए दस्तावेज प्रदान करने होंगे कि उसने अनुबंध की अवधि के दौरान पोर्ट ट्रस्ट में उन्हें तैनात करने के लिए रस्साकशी के चार्टर किराए के लिए पट्टा लिया है। निविदाकर्ता को पिछले 3 वर्षों के दौरान एक वर्ष के लिए संचालन और बंदरगाह अभ्यास का अनुभव होना चाहिए। न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर बंदरगाहों पर टग तैनात किए जाने चाहिए।

अनुबंध अवधि के दौरान। [पैरा 22] [873-बी-डी]

6 महीने की अनुबंध अवधि के लिए बंदरगाह पर चौबीसों घंटे टोइंग, डॉकिंग और अनडॉकिंग सहित चार्टर्ड पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवश्यक सेवाएं। ठेकेदार जो कंपनी है पोत, उसके स्वामी और चालक दल से संबंधित लागत या खर्च प्रदान करना पड़ता है, जबकि चार्टर लेने वाले को ईंधन, स्नेहक, पानी, बिजली, बंदरगाह शुल्क और प्रदूषक रोधी प्रदान करना होता है। रखरखाव और संचालन के प्रावधान भी शामिल हैं।

रखरखाव का हिस्सा ठेकेदार कंपनी के पास है। किराएदार के पास सभी परिधानों, उपकरणों और उपकरणों का उपयोग होगा। डिलीवरी के समय जहाज पर चढ़ें। बीमा शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना है। पोत का बीमा ठेकेदारों द्वारा उनके खर्च पर किया जाएगा और

क्षतिपूर्ति जोखिम। पोत की पूरी पहुंच और बोझ, जिसमें किराएदार के निपटान में रखी जाने वाली वैध क्षमता भी शामिल है। [पैरा 27] [882-डी-एफ]

1.3 चार्टर पार्टी समझौते (अनुलग्नक I) के विभिन्न नियमों और शर्तों के अवलोकन पर, खंड 1 में प्रावधान है कि

ठेकेदार "किराए पर" देते हैं और किराएदार छह महीने के लिए माल के जहाज को "किराए पर" लेता है। अभिव्यक्ति 'लेट' का उपयोग किया गया है, और चार्टर अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पोत का उपयोग किया गया है।

चार्टरकर्ताओं के "निपटान" में और हर मामले में उनके नियंत्रण में रखा गया। चार्टरर्स को अधिकार दिया गया है

डिलीवरी के समय पोत पर सभी परिधानों, उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करें, जिसमें पूरी पहुंच, बोझ और डेक क्षमता शामिल है। इस प्रकार, केवल कर्मचारियों को बीमा प्रदान करके, [2019] 17 एस. सी. आर.

क्षतिपूर्ति, और अधिकारियों की लागत वहन करने की अन्य जिम्मेदारियां, छह महीने की पूरी अवधि के लिए प्रभावी नियंत्रण चार्टरर्स को दिया गया है। यह पोत का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण का मामला है जिसके लिए कुछ खर्च और कर्मचारी होते हैं। ठेकेदार द्वारा प्रदान किया गया, जो यह पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वाहन का नियंत्रण और कब्जा ठेकेदार के पास है। कब्जा और नियंत्रण स्पष्ट रूप से चार्टर करने वाले के पास है। इस बात में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि चार्टर समझौते के तहत निविदा देने वालों को दिए गए निर्देशों, सामान्य शर्तों और अनुबंध के लिए विशेष शर्तों के साथ, जैसा कि निविदा दस्तावेजों और चार्टर-पार्टी खंडों में निर्दिष्ट किया गया है, उद्देश्यों के लिए पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण होता है

समझौते में निर्दिष्ट। [पैरा 33] [884-सी-एफ]

1.4 माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए एक लेनदेन का गठन करने के लिए, आवश्यक है, माल वितरण के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तत्काल मामले में, पोत वितरण के लिए उपलब्ध था और वास्तव में, वितरित किया गया था। पोत के बारे में कोई विवाद नहीं है और किराएदार को माल का उपयोग करने का कानूनी अधिकार है, और ठेकेदार को बाहर करने के लिए किराएदार को अनुमति/लाइसेंस उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार, उपयोग के अधिकार का पूर्ण हस्तांतरण होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस समझौते और शर्तों के अधीन यह किया गया है, वह माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण नहीं है, छह महीने की अवधि के दौरान, ठेकेदार को किसी और को उपयोग के लिए पोत देने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) में अंतःस्थापित प्रावधानों, धारा 5 सी और कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 में 'बिक्री' की परिभाषा को देखते हुए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है संदेह के लिए कि पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है। [पैरा 34] [884-जी-एच; 885-ए]

1.5 अनुबंध के सार और नाममात्र प्रकृति परीक्षण को लागू करते हुए, पोत उपलब्ध था जब समझौते के लिए माल के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो गया है। जहाज हस्तांतरण के समय उपलब्ध था, वितरण योग्य और वितरित किया गया था और छह महीने के लिए चौबीसों घंटे विशेष निपटान में था।

चार्टर पोर्ट ट्रस्ट। लाइसेंस और अनुमति का उपयोग चार्टरकर्ता के निपटान में था और इसके बहिष्करण के लिए

ठेकेदार/हस्तांतरणकर्ता। ठेकेदार के लिए यह खुला नहीं था कि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पोत के उपयोग की अनुमति दे।

[पैरा 37] [888-एफ-जी] द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

1.6 न्यायालय शर्तों पर निर्णय नहीं ले रहा है

उपयोग किया जाता है जैसे 'लेट', 'हायर', 'डिलीवरी' और 'री-डिलीवरी' लेकिन चार्टर पार्टी समझौते की अन्य आवश्यक शर्तों पर

तत्काल मामला जो स्पष्ट रूप से बताता है कि एक हस्तांतरण है

पोत का उपयोग करने का अनन्य अधिकार जो एक मानित बिक्री है और केएसटी अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है। तत्काल मामले में, जहाज का पूरा नियंत्रण विशेष रूप से उपयोग करने के लिए चार्टर को दिया गया था

छह महीने के लिए, और डिलीवरी भी की गई थी। विशेष रूप से छह महीने के लिए चार्टर द्वारा उपयोग यह बताता है कि यह है निश्चित रूप से पोत का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण का अनुबंध जिसके साथ न्यायालय तत्काल मामले में संबंधित है, और यह अनुच्छेद 366 (29ए) (डी) में निर्दिष्ट एक मानित बिक्री है। यह निर्भर करता है

चार्टर-पार्टी के नियम और शर्तें जब इसे केवल सेवा के लिए माना जाना है और जब यह उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है। [पैरा 43] [897-एच; 898-ए-सी]

1.7 मृत्यु द्वारा एक चार्टर-पार्टी में, यह मास्टर या चालक दल या बेयरबोट चार्टर के बिना चार्टर हो सकता है, और दूसरा एक हो सकता है मास्टर और चालक दल के साथ चार्टर जिसके तहत जहाज को जाता है

व्यापारिक रोमांच के उद्देश्यों के लिए चार्टर। जैसा कि वर्तमान मामले में माना गया है, पूर्ण नियंत्रण दिया गया है, और उपयोग है

विशेष रूप से चार्टर के लिए। उसे जगह और बोझ का उपयोग करने का अधिकार है। [पैरा 52] [904-सी-डी]

1.8 यह कहना सही नहीं है कि केवल चार्टर समझौते हैं

केवल विशिष्ट शब्दों का उपयोग निर्धारक नहीं है, बल्कि वास्तविक है। पक्षों के बीच सहमति के अनुसार प्रासंगिक शर्तों के अनुसार मुख्य बात को देखा जाना चाहिए। [पैरा 53] [904-ई-एफ]

1.9 यह कहना सही नहीं है कि हार्बर क्राफ्ट नियमों की योजना के अनुसार मालिक जहाज का नियंत्रण रखता है।

केवल एसएस द्वारा। 4 , 6 और हार्बर क्राफ्ट नियमों के 8 जो

लाइसेंस, इसके उत्पादन/स्वामित्व परिवर्तन आदि से संबंधित, यह नहीं कहा जा सकता है कि मालिक ने पोत का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित नहीं किया है। इस तरह की मानित बिक्री में स्वामित्व मालिक द्वारा बनाए रखा जाता है। वह संपत्ति के उपयोग के अधिकार को हस्तांतरित करके मालिक बनना बंद नहीं

करता है। केवल इस तथ्य से कि कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस प्राप्त किया जाना है और टिंडल [2019] 17 एस द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।

मांग किए जाने पर और उप संरक्षक द्वारा सूचित किए जाने की असमर्थता को बदलने पर, प्रावधान चार्टर पार्टी समझौते की व्याख्या करने और यह तय करने के लिए कि क्या वी [पैरा 55] [905-सी-ई] का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है, किसी भी सहायता के लिए नहीं हैं।

1.10 इसलिए, चार्टर पार्टी समझौता एक मानित बिक्री के समान है क्योंकि उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण था।

कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम की धारा या धारा 2 (जे) के साथ पठित अनुच्छेद 366 (29ए) (डी) में दिए गए प्रावधान के अनुसार पोत। इस प्रकार,

लेन-देन पर संबंधित प्राधिकरण कर्नाटक राज्य द्वारा कर लगाया जाना चाहिए। [पारस 68] [916-सी]

भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्र. वी. भारत संघ और अन्य। , (2006) 3 एससीसी 1: [2006] 2 एस. सी. आर. 823; ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम षण्मुघविलास

काजू उद्योग और अन्य। , (1990) 3 एससीसी 481: [1990]

1 एस. सी. आर. 884-निर्भर।

एपी और ए. एन. आर. का राज्य वी. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड,

(2002) 3 एससीसी 314-प्रतिष्ठित।

डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. निदेशक, नगर और

देश योजना विभाग, हरियाणा और अन्य। ,

(2010) 14 एससीसी 1: [2010] 15 एस. सी. आर. 85; भारत संघ बनाम। गोसलिया शिपिंग (प्रा.) लिमिटेड (1978) 3 एस. सी. सी. 23: [1978] 3 एस. सी. आर. 943; तमिलनाडु राज्य और अन्य। वी. टीवीएल। एस्सार शिपिंग लिमिटेड और अन्य। , (2012) 47 वी. एस. टी. 209 (मैड.)-संदर्भित।
पुनः में - सी एंड लैंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और विलियम डिकिंसन एंड कंपनी लिमिटेड के बीच एक मध्यस्थता। द एलर्सफोर्ड,

(1942) 2 के. बी. 65; स्कैंडिनेवियाई व्यापार टैंकर

कं. ए. बी. वी फ्लोटा पेट्रोलेरा इक्वेटोरियाना, (1983) 2 एलएलआर 253; पोर्ट लाइन, लिमिटेड बनाम। बेन लाइन स्टीमर्स लिमिटेड (1958) 1 एईआर 787; टोरवाल्ड क्लेवेनेस ए/एस वी। अरनी मैरीटाइम कॉर्पोरेशन (1993) 2 एल. एल. आर. 335; स्किब्साकटीसेल्स्कपेट स्नेफोन, स्किब्सक्सजेसेल्स्कपेट बर्गेहस और सिग। बर्गेसन डी. वाई. एंड कंपनी बनाम कावासाकी किसेन कैशा लिमिटेड

(1975) 1 एलएलआर 422; हुंडई मर्चेंट मरीन कंपनी लिमिटेड बनाम। गेसूरी चार्टरिंग कंपनी लिमिटेड (1991) 1 एलएलआर 100

संदर्भित किया गया।

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण। , खण्ड. 43 -

संदर्भित किया गया।

कंपनी की प्रस्तुति, पूरी तरह से भारत संघ के क्षेत्र में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मानित बिक्री की स्थिति में है मंगलौर। [पारस 57,58] [905-जी-एच; 908-जी-एच; 909-बी-सी]

20 शताब्दी वित्त निगम लिमिटेड बनाम। की स्थिति महाराष्ट्र (2000) 6 एस. सी. सी. 12: [2000] 1 पूरक। एससीआर

120 - पीछा किया।

अग्रवाल ब्रदर्स बनाम। हरियाणा राज्य और अन्र। , (1999) 9 एस. सी. सी 182: उड़ीसा और अन्र राज्य। वी. एशियाटिक गैस लिमिटेड (2007) 5 एस. सी. सी. 766: [2007] 6 एससीआर 1182 -

संदर्भित किया गया।

3. क्षेत्रीय जल के संबंध में, तटीय राज्य किस हद तक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इस पर विचार किया गया है

उच्च न्यायालय, और विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। उच्च न्यायालय इस सवाल पर गया है कि क्या क्षेत्रीय

भू-भाग से सटे जल कर्नाटक राज्य का हिस्सा हैं। यह विवादित नहीं था कि क्षेत्रीय जल का विस्तार भू-भाग से 12 समुद्री मील तक है जो आधार रेखा है। अनुच्छेद 297 पर उच्च न्यायालय और संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूचियों द्वारा विचार किया गया है। सूची I की प्रविष्टियाँ 25 से 27 और 30, सूची III की प्रविष्टियाँ 32, अर्थात समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय ने समुद्री और मत्स्य पालन अधिनियम, 1986 की धारा 2 (जे), 7 वीं अनुसूची की राज्य सूची II की प्रविष्टियों 13 और 21 और सूची II की मत्स्य पालन प्रविष्टि 21 के संबंध में राज्य की परिभाषा पर भी भरोसा किया है। हालाँकि, उच्च [2019] 17 एस. सी. के रूप में

अदालत ने एक निष्कर्ष दिया है, और फंसने पर, तटीय सेंट ने अपना जवाब दाखिल किया है क्योंकि उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकार के संबंध में राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकार के संबंध में प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि के. एस. टी. अधिनियम के तहत कर के निष्पादन से संबंधित निष्कर्ष के कारण जहां हस्तांतरण का उपयोग करने का अधिकार है।

पोत, जो एक मानित बिक्री है, हुआ था। इस प्रकार, प्रश्न खुला छोड़ दिया जाता है और इस संबंध में उच्च कंपनी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को कम कर दिया जाता है। [पारस 63-65] [914-एच; 915-ए-ई]

बलिराम वामन हिरय बनाम। न्यायमूर्ति बी. लेंटिन, (1988) 4

एससीसी 419: [1988] 2 पूरक। एससीआर 942; पी. टी. राजन बनाम

टी. पी. एम. साहिर (2003) 8 एस. सी. सी 498: [2003] 4 पूरक। एससीआर 84 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1988] 2 पूरक। एससीआर 942

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2003] 4 पूरक। एससीआर 84

संदर्भित किया गया है

पै

रा 14

[2006] 2 एससीआर 823

उस पर भरोसा करें

पै

रा 35

[2010] 15 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पै

रा 38

(2002) 3 एस. सी. सी. 314

पै

रा 39

प्रतिष्ठित

[1990] 1 एससीआर 884

उस पर भरोसा करें

पै

रा 40

[1978] 3 एससीआर 943

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

संदर्भित किया गया है

(2012) 47 बीएसटी 209 (मैड।)

पै

रा 42

(1942) 2 के. बी 65

संदर्भित किया गया है

पै

रा 44

(1983) 2 एलएलआर 253

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

(1958) 1 एईआर 787

संदर्भित किया गया है

पै

रा 46

(1993) 2 एलएलआर 335

पै

रा 47

संदर्भित किया गया है

(1975) 1 एलएलआर 422

संदर्भित किया गया है

पै

रा 48

(1991) 1 एलएलआर 100

संदर्भित किया गया है

पै

रा 49

(1999) 9 एस. सी. सी 182

संदर्भित किया गया है

पै

रा 60

[2007] 6 एससीआर 1182

पै

रा 61

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 पूरक। एससीआर 120

पीछा किया।

पैरा 57 द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3383

2004 से।

उच्च न्यायालय के 23.01.2004 दिनांकित निर्णय और आदेश से

कर्नाटक न्यायालय, बैंगलोर ने 1999 की रिट अपील संख्या 5526 में।

रहमान, राजेश इनामदार, परीक्षित पी. अंगड़ी, अश्विन जी. राज, मनेन्द्र पाल गुप्ता, श्रीमती शाली भसीन, सुश्री हेमंतिका वाही, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अनूप कंदारी, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, सुश्री ए. जसवंती, सुश्री पी. मित्रा, के. वी. विजयकुमार, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत कुमार त्यागी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, मैसर्स। वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, शिबाशीष मिश्रा, एस. देबब्रत रेड्डी, चंदन कुमार मंडल,

जी. एन. रेड्डी, सुश्री सुजाता बागड़ी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, सुश्री डी. प्रियंका, अनिरुद्ध पी. मयी, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे।

1. अपील में शामिल सवाल यह है कि क्या यह खुला है

कर्नाटक राज्य दिनांक 8.1.1998 के समय चार्टर समझौते को ध्यान में रखते हुए बिक्री कर लगाएगा और क्या यह कर्नाटक की धारा 5 सी के अर्थ के भीतर माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के बराबर है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) के साथ पठित बिक्री कर अधिनियम, 1957 (संक्षेप में, "केएसटी अधिनियम")।

2. अपीलार्थी-द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने राज्य सरकार की क्षमता पर सवाल उठाते हुए एक रिट याचिका दायर की

भारत के क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के संबंध में बिक्री कर लगाया जाता है। अपीलार्थी के पास एक रस्साकशी का बर्तन होता है,

अर्थात् "कुमारी तारिणी")। कंपनी ने एक चार्टर पार्टी [2019] 17 एस. सी. आर. में प्रवेश किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8.1.1998 पर न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के साथ समझौता। इसमें प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए रस्साकशी की सेवाएं उपलब्ध कराने पर सहमति हुई

कंपनी के मालिक और अन्य कर्मियों के साथ छह महीने के लिए पोर्ट ट्रस्ट को समझौता। 3. सहायक आयकर आयुक्त ने दिनांक 1 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी को इस आधार पर केएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत खुद को एक डीलर के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया कि समझौता

इसकी धारा 5 सी के तहत कर आकर्षित किया गया। कंपनी ने दिनांकित उत्तर में

26.6.1998 दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कंपनी द्वारा पोर्ट ट्रस्ट को दिए गए माल के उपयोग के अधिकार का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था क्योंकि रस्साकशी का कब्जा और अभिरक्षा इसके साथ जारी थी। सहायक आयुक्त ने आई. डी. 1 पर एक और सूचना भेजी कि कंपनी को 15 दिनों के भीतर के. एस. टी. अधिनियम के तहत खुद को पंजीकृत करने का अंतिम मौका दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर वह के. एस. टी. अधिनियम की धारा 29 (2) (ए. ए. ए. ए.) के तहत अपराध के लिए कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए मजबूर होंगे। आयकर के संयुक्त आयुक्त

(वाणिज्यिक कर) ने कंपनी द्वारा किए जा रहे एक प्रश्न पर लिखा कि वह केएसटी अधिनियम की धारा 5 सी के तहत देयता या अन्यथा कर का भुगतान करने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे। 4. कंपनी ने इस आधार पर एक रिट याचिका दायर की कि के. एस. टी. अधिनियम भारत के क्षेत्रीय जल क्षेत्र से सटा हुआ नहीं है।

कर्नाटक राज्य का भूभाग। इस प्रकार, राज्य पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त किराया शुल्क पर कोई कर लगाने के लिए अधिकृत नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिससे कंपनी ने एक रिट अपील को प्राथमिकता दी। उसी को भी खारिज कर दिया गया है;

इसलिए याचिका दायर की गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपीलार्थी द्वारा उठाई गई इस दलील को खारिज कर दिया है कि कर्नाटक राज्य के पास क्षेत्रीय जल क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रश्न पर विचार करने से इनकार कर दिया कि क्या रस्साकशी का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण हुआ था। इसने माना कि कंपनी द्वारा रस्साकशी का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण पोर्ट ट्रस्ट को किया गया था। 5. कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने कहा कि समय चार्टर समझौता दिनांकित है।

8.1.1998 केएसटी अधिनियम की धारा 5 सी के अर्थ के भीतर वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण नहीं है। यह केवल एक सेवा अनुबंध था। यह अनुबंध रुपये के भुगतान पर एक रस्साकशी के किराए के लिए है। 1.50 लाख प्रतिदिन। समझौते में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'सेवा' है। दुनिया भर में समय चार्टर को सेवा का अनुबंध माना जाता है।

एक महान ईस्टर्न शिपिंग कंपनी है। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

मृत्यु द्वारा समझौता या चार्टर। चार्टर तीन प्रकार के होते हैं। (क) समय चार्टर, (ख) बेयरबोट चार्टर या मृत्यु द्वारा चार्टर, और (ग) यात्रा चार्टर। समय चार्टर और यात्रा चार्टर अनुबंध हैं -

सेवा, जबकि बेयरबोट चार्टर जहाज का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के बराबर है। एक समय चार्टर में, मालिक और चालक दल मालिक के रोजगार में होते हैं, और पोत का पूर्ण नियंत्रण, स्वामित्व और कब्जा केवल मालिक और चालक दल के माध्यम से मालिक के पास रहता है। पोर्ट ट्रस्ट को डिलीवरी केवल एक प्रतीकात्मक है, और टग का कानूनी और भौतिक अधिकार कंपनी के पास बना हुआ है। इस प्रकार, व्यवस्था एक सेवा है, पट्टे पर नहीं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने

पोर्ट ट्रस्ट की बंदरगाह सीमाएँ। कानूनी अधिकार और वित्तीय नियंत्रण पोर्ट ट्रस्ट को हस्तांतरित नहीं किया गया था, और केवल पोत का सशर्त उपयोग किया गया है। प्रयोग में आने वाले शब्दों का उपयोग खंड 7 में पोर्ट 'एक मानक शब्द है जिसका उपयोग सभी चार्टर समझौतों में किया जाता है, और

ये कानूनी कब्जे के हस्तांतरण या राजकोषीय नियंत्रण के हस्तांतरण का संकेत नहीं देते हैं। अनुबंध मालिक की विभिन्न देनदारियों और जिम्मेदारियों को इंगित करता है; बीमा अपीलार्थियों द्वारा प्रदान किया जाना है। सेवा के प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी भी देनी होती है। मालिक अपनी रस्साकशी, जेटी, बंदरगाह परिसर या बंदरगाह में किसी अन्य जहाज को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार है। कंपनी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है

चार्टरकर्ता को क्षतिपूर्ति। इस प्रकार, मालिक ने पोत पर अपना नियंत्रण नहीं खोया है।

7. यह भी आग्रह किया जाता है कि यदि पोत पोर्ट ट्रस्ट के अधिकार में है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण किया गया है। इस अभिव्यक्ति को समझौते के उचित संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। यह कहना बेतुका होगा कि पोत आंशिक रूप से पोर्ट ट्रस्ट के कब्जे में हो सकता है और आंशिक रूप से कंपनी के कब्जे में हो सकता है। कोई भी।

अन्यथा अनुबंध की व्याख्या भारत में अप्रत्यक्ष कराधान की योजना में अशांति पैदा कर सकती है।

8. श्री दातार ने समय चार्टर और बेयरबोट चार्टर समझौतों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लेख किया है।

100 से अधिक वर्षों के लिए अस्तित्व। उनके अनुसार, समय चार्टर को हमेशा सेवा अनुबंध के रूप में माना गया है। उन्होंने वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग पर भरोसा किया है, जो शिपिंग कंपनियों द्वारा अपने चार्टरर्स के साथ किए गए चार्टर पार्टी समझौतों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के आधार पर जारी किया गया है और स्पष्ट किया है कि जहाज मूर्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। एक चार्टर ने पोत के कब्जे या प्रभावी नियंत्रण के अधिकार के बिना पोत का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसलिए, जहाजों के चार्टर के लिए भुगतान किया गया प्रतिफल 'कब्जे और नियंत्रण के बिना सेवा के माध्यम से उपयोग के लिए मूर्त वस्तुओं की आपूर्ति' की श्रेणी के तहत सेवा कर के लिए उत्तरदायी है। तथ्य यह है कि समय चार्टर सेवा कर के अधीन हैं और बेयरबोट चार्टर बिक्री कर के अधीन हैं, जो इंगित करता है कि समय चार्टर सेवा के अनुबंध हैं। यदि उनमें उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण शामिल होता, तो संसद उन्हें कभी भी सेवा कर के अधीन नहीं करती।

9. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दातार ने यह भी कहा है कि आमतौर पर केवल संसद ही क्षेत्रीय जल से संबंधित कानून बना सकती है। अनुच्छेद 286 के साथ पठित अनुच्छेद 246 (4) के तहत, संसद वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर कर लगाने से संबंधित राजकोषीय कानून बना सकती है, जहां ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर होती है। इस प्रकार, यदि समझौते की स्थिति राज्य के क्षेत्र में भी आती है, तो भी इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी क्योंकि पोत को क्षेत्रीय जल में चलना पड़ता है। समुद्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते हैं।

10. यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 297 के साथ-साथ प्रादेशिक जल के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए क्षेत्रीय जल को कर्नाटक के क्षेत्र का हिस्सा मानने में गलती की है।

महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम)। किसी भी समुद्री राज्य को उनके क्षेत्र के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय जल नहीं दिया गया है। उन्होंने संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर के भाषण का भी उल्लेख किया है कि पूरा क्षेत्रीय जल विशेष रूप से संघ का होगा, और यह केवल सूची II में प्रविष्टि 21 के माध्यम से एक अपवाद के रूप में है कि "मत्स्य पालन" को राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा गया है। इस प्रकार, राज्य सरकार क्षेत्रीय जल क्षेत्र तक मछली पकड़ने को विनियमित करने में सक्षम है। इसे फिर से सूची I की प्रविष्टि 57 द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें प्रावधान है कि प्रविष्टि 21, सूची II के अनुसार क्षेत्रीय जल से परे मत्स्य पालन संघ के नियंत्रण में होगा।

कर्नाटक मरीन द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

और मछली पकड़ने (विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का अधिनियम) को राज्य विधानमंडल द्वारा सूची II की प्रविष्टि 21 के अनुसार शक्तियों के दायरे में पारित किया गया था। 1986 के अधिनियम की धारा 2 (जे) ने कर्नाटक राज्य को क्षेत्रीय जल को शामिल करने के लिए परिभाषित किया है, लेकिन इसे सूची II में प्रविष्टि 21 के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। धारा 2 (जे) में परिभाषा के विनियमन तक सीमित है मत्स्य पालन, और इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि क्षेत्रीय जल कर्नाटक का है। राज्य अपने क्षेत्र के हिस्से के रूप में 12 समुद्री मील का दावा नहीं कर सकता है; अन्यथा, प्रत्येक समुद्री राज्य क्षेत्रीय जल में गतिविधियों के संबंध में सूची-I में उल्लिखित किसी भी वस्तु के साथ कानून पारित कर सकता है, जो संसद का विशेषाधिकार है।

11. श्री दातार ने आगे कहा है कि सूची II की प्रविष्टि 56 और 57 के तहत, राज्य विधानमंडल के पास केवल अंतर्देशीय जल आधार पर माल और यात्रियों की ढुलाई पर कर लगाने की क्षमता है। निहितार्थ से, क्षेत्रीय जल में माल या यात्रियों के परिवहन पर कोई भी कर राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के बाहर है। सूची I की 25 से 27 प्रविष्टियाँ इंगित करती हैं कि पूरा पोत परिवहन उद्योग विशेष रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में है। सूची I की प्रविष्टि 27 में बंदरगाहों को शामिल किया गया है, और समझौता पोर्ट ट्रस्ट के साथ है। उसके पास है

क्षेत्रीय जल अधिनियम, 1976 की धारा 5 ने हमारा ध्यान आकर्षित किया। धारा 5 सन्निहित क्षेत्र को आधार रेखा के निकटतम बिंदु से 24 समुद्री मील की दूरी पर होने के लिए परिभाषित करती है। केंद्र सरकार के पास सन्निहित क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर सीमा शुल्क और अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति है। प्रादेशिक जल अधिनियम बिक्री कर, अर्थात के. एस. टी. अधिनियम से संबंधित राज्य विधानमंडल पर लागू होता है। इस प्रकार, 20 वीं शताब्दी वित्त निगम लिमिटेड में निर्णय v. महाराष्ट्र राज्य, 2000 (6) एस. सी. सी. 12 आकर्षित नहीं है जिसमें यह न्यायालय इस विवाद से संबंधित था कि कौन सा राज्य बिक्री कर लगा सकता है, जहां अनुबंध पर हस्ताक्षर, माल की डिलीवरी या अधिकारों का उपयोग अलग-अलग राज्यों में था। बहुमत का मानना था कि जिस राज्य में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उसके पास बिक्री कर लगाने की शक्ति होगी। इस प्रकार, जिस स्थान पर माल की डिलीवरी या उपयोग किया गया था, वह बिक्री कर लगाने का आधार नहीं हो सकता था। केवल मैंगलोर में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से कर्नाटक राज्य पर बिक्री-कर लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिला। इस निर्णय का लेन-देन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका प्रभाव क्षेत्रीय जल या उच्च समुद्रों में होता है, भले ही समझौते पर किसी विशेष राज्य के भीतर हस्ताक्षर किए गए हों।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मोहन परासरन ने हमें समझौते के विभिन्न खंडों के बारे में विस्तार से बताया है। यह समझौता [2019] 17 एस. सी. आर. में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यूयॉर्क प्रोडक्शन द्वारा अनुमोदित समय चार्टर की प्रकृति

विनिमय (एन. वाई. पी. ई.), जो समय चार्टर के लिए मानक रूप है। यह न तो एक बेयरबोट सह डेथ चार्टर है और न ही एक समुद्री यात्रा चार्टर है और इसलिए, नियमों और शर्तों के कारण केवल एक समय चार्टर है। उन्होंने बी. एस. एन. एल. बनाम पर भरोसा किया है। भारत संघ, (2006) 3 एस. सी. सी. 1 जिसमें इस न्यायालय ने माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का गठन करने के लिए एक लेनदेन के आवश्यक विशेषताओं को निर्धारित किया है। किसी भी समय, पोत को कंपनी के कब्जे या नियंत्रण से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसे उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण बनाने के लिए आवश्यक घटक गायब है। उन्होंने डी. एल. एफ. यूनिवर्सल लिमिटेड का भी उल्लेख किया है। निदेशक, नगर और

देश योजना विभाग, हरियाणा (2010) 14 एस. सी. सी. 1. समझौते की भाषा ही इसे सेवा अनुबंध के रूप में स्पष्ट करती है।

डिलीवरी और री-डिलीवरी जैसी अभिव्यक्तियों को शाब्दिक अर्थों में नहीं समझा जाना चाहिए। कंपनी पर कुछ दायित्व होते हैं, जिससे पता चलता है कि पोत पर प्रभावी नियंत्रण कंपनी के पास है। उन्होंने हार्बर क्राफ्ट नियमों का भी उल्लेख किया था। टग हमेशा कंपनी द्वारा संचालित, नियंत्रित, चलाया, रखरखाव और बीमा किया जाता है। रस्साकशी का अधिकार उसके पास ही रहता है। यदि टग को उपयोग से अक्षम कर दिया जाता है, तो किराएदार को कंपनी को चार्टर-पार्टी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती है। कंपनी को चार्टर लेने वाले को क्षतिपूर्ति देनी होगी। 13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन ने यह भी प्रस्तुत किया है कि समय चार्टर-पार्टी की अवधारणा एक विशिष्ट कार्य के बजाय एक निर्दिष्ट अवधि के लिए एक चार्टर है। मृत्यु चार्टर और यात्रा चार्टर जैसे अन्य प्रकार के चार्टर पार्टी समझौते हैं। एक मृत्यु चार्टर के तहत, मालिक आवधिक भुगतान के बदले में एक सहमत अवधि के लिए अपने जहाज को किराए पर देता है। समुद्री यात्रा चार्टर में, मालिक इस बात पर सहमत होते हैं कि उनके द्वारा संचालित, चालक दल और बंकर वाला उनका जहाज माल ढुलाई के बदले में एक सहमत यात्रा पर निर्दिष्ट माल ले जाएगा, विशेष रूप से एक "एकल भुगतान"। मर्केंटाइल के तहत

न्यायशास्त्र के अनुसार, यह सर्वसम्मत है कि जहां तक समय चार्टर का संबंध है,

यह केवल एक सेवा अनुबंध है। उन्होंने चार्टर पार्टियों और बिल ऑफ लेडिंग और ब्रिटिश शिपिंग कानूनों पर स्क्रूटन का भी उल्लेख किया है।

कॉलिनवॉक्स, राउल पी. की कैरिज बाय सी पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड बनाम में एक निर्णय का भी उल्लेख किया है।

षण्मुघविलास काजू इंडस्ट्रीज और अन्य। , (1990) 3 एस. सी. सी. 481 और अन्य निर्णय और समय चार्टर की परिभाषा-ब्लैक लॉ डिक्शनरी में पक्षकार। जिस अवधि के दौरान हस्तांतरणकर्ता के पास ऐसा कानूनी अधिकार है, वह हस्तांतरणकर्ता कंपनी के बहिष्करण के लिए होना चाहिए, जो उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का गठन करने के लिए स्पष्ट रूप से आवश्यक है, जो कि महान आसान शिपिंग कंपनी है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

न केवल माल का उपयोग करने का लाइसेंस। सेवा कर पहले से ही इसे सेवा समझौते के रूप में लेने योग्य है क्योंकि इस तरह की बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता है। क्षेत्रीय जल भारत संघ के अनन्य अधिकार क्षेत्र में हैं। के अनुच्छेद 297 को ध्यान में रखते हुए

14. कर्नाटक राज्य की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री देवदत्त कामत ने प्रस्तुत किया कि उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण तब होता है जब समझौता किया जाता है न कि जब माल की डिलीवरी होती है। उन्होंने विभिन्न खंडों का उल्लेख किया है उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को घर ले जाने के लिए समझौता और 20 वीं शताब्दी वित्त निगम लिमिटेड पर भरोसा किया है। महाराष्ट्र राज्य

(ऊपर), इस न्यायालय की संविधान पीठ का एक निर्णय जिसे बी. एस. एन. एल. (ऊपर) में अनुमोदित किया गया है। उन्होंने आगे आग्रह किया है कि एक तटीय राज्य के पास तट से सटे क्षेत्रीय जल में बिक्री-कर लगाने का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने अनुच्छेद 297 का भी उल्लेख किया है। उन्होंने संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर के भाषण पर भरोसा किया है कि "उस क्षेत्र पर राज्य के कानून प्रबल होंगे, आप जो भी कानून बनाएंगे, वह भौतिक क्षेत्र से तीन मील के क्षेत्र में लागू होगा" और उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 297 की व्याख्या के संबंध में "भारत के संवैधानिक कानून" पर एच. एम. सीरवई के मौलिक कार्य का भी उल्लेख किया है। यद्यपि अनुच्छेद में एक से अधिक अवसरों पर संशोधन किया गया है, लेकिन संसद ने अनुच्छेद 297 के मूल आधार को नहीं बदला है। उन्होंने बलिराम वामन हिरय बनाम पर भरोसा किया है। न्यायमूर्ति बी. लेंटिन, (1988) 4 एससीसी 419; पी. टी. राजन बनाम टी. पी. एम. साहिर (2003) 8 एससीसी 498। कर्नाटक राज्य सहित कई राज्यों ने मत्स्य पालन के संबंध में कानून बनाए हैं। उन्होंने कर्नाटक समुद्री मछली पकड़ने (विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा 2 (जे) का उल्लेख किया है। समझौते के विभिन्न खंडों से स्पष्ट रूप से पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण हुआ था। उन्होंने अनुच्छेद 366 और उससे संबंधित बहसों पर भी भरोसा किया है। संसद ने अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) के तहत राज्य सरकार की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने का फैसला किया है।

15. श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने क्षेत्रीय जल के संबंध में भारत संघ की चिंता व्यक्त की है और प्रस्तुत किया है कि क्षेत्रीय जल संघ [2019] 17 एस. सी. आर. में निहित है।

सूची I और प्रादेशिक जल अधिनियम की प्रविष्टियों 25 से 27 और 30 के अनुसार भारत सरकार। क्षेत्रीय जल सीमा तक कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को सही नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने अनुच्छेद 297 के बारे में संविधान सभा में बहस पर भरोसा किया है। अनुच्छेद 297 (3) के अनुसार, संसद ने प्रादेशिक जल अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया है; उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 3,5 और 7 का उल्लेख किया है। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 और 286 पर भी भरोसा किया है।

16. इस मामले में विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः

(1) क्या कर्नाटक राज्य के पास केएसटी अधिनियम की धारा 5 सी के तहत बिक्री-कर लगाने का अधिकार क्षेत्र है

चार्टर पार्टी समझौते की तारीख 8.1.1998?

((ii) क्या 8.1.1998 दिनांकित समझौता गठित करता है।

" उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण "?

((iii) क्या कर्नाटक राज्य के पास समझौते पर बिक्री-कर लगाने की क्षमता है, जो क्षेत्रीय जल क्षेत्र के भीतर प्रभावी है?

17. इस न्यायालय ने विभिन्न तटीय राज्यों को नोटिस जारी किया, और उन्होंने क्षेत्रीय जल के संबंध में भी जवाब दायर किया है, जैसे कि गोवा, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल आदि राज्य।

इन रेः केएसटी अधिनियम की धारा 5 सीः

18. कर्नाटक राज्य ने चार्टर-पार्टी पर केएसटी अधिनियम की धारा 5 सी के तहत इस आधार पर कर लगाने की मांग की है कि यह पोत के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है।

19. केएसटी अधिनियम की धारा 5 सी में कहा गया हैः

" धारा 5 सी-किसी भी उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर का शुल्क

सामान

धारा 5 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन उक्त धारा की उप-धारा (4), (5) और (6) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक विक्रेता प्रत्येक वर्ष के लिए एक - सातवीं अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के संबंध में उसके कर योग्य कारोबार पर इस अधिनियम के तहत कर (चाहे वह किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए हो या नहीं)

अवधि) में संबंधित प्रविष्टियों में निर्दिष्ट दरों पर

उक्त अनुसूची का कॉलम (3)। ”

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

20. केएसटी अधिनियम की धारा 2 (टी) "बिक्री" को परिभाषित करती है और निम्नानुसार पढ़ती हैः

" धारा 2 (टी) "बिक्री" अपने सभी व्याकरणिक भिन्नताओं और संज्ञानात्मक के साथ

अभिव्यक्तियों का अर्थ है व्यापार या व्यवसाय के दौरान एक व्यक्ति द्वारा माल में संपत्ति का प्रत्येक हस्तांतरण (बंधक, परिकल्पना, शुल्क या गिरवी रखने के अलावा)।

नकद या विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए, और इसमें शामिल हैं -

((i) नकद, आस्थगित भुगतान के लिए किसी भी माल में संपत्ति के अनुबंध के अनुसरण में अन्यथा हस्तांतरण या

अन्य मूल्यवान विचार;

((ii) किसी कार्य के निष्पादन में शामिल माल में संपत्ति का हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में)।

अनुबंध;

((iii) किराए पर खरीद या किसी भी प्रणाली पर माल की डिलीवरी।

किश्तों में भुगतान।

((iv) किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण (चाहे वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) नकद के लिए, आस्थगित

भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार;

स्पष्टीकरण 1. - XXX स्पष्टीकरण 2. - x x x

स्पष्टीकरण 3. - (क) वस्तुओं की बिक्री या खरीद (अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान या आयात या निर्यात के दौरान के अलावा), इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य में हुई मानी जाएगी, जहां भी बिक्री या खरीद का अनुबंध किया गया हो सकता है, यदि माल राज्य के भीतर है।

((i) उस समय विशिष्ट या निश्चित माल का मामला

बिक्री या खरीद का अनुबंध किया जाता है; और

((ii) अप्रमाणित या भावी वस्तुओं के मामले में, विक्रेता या खरीदार द्वारा बिक्री या खरीद के अनुबंध के लिए उनके विनियोग के समय, चाहे

दूसरा पक्ष इस तरह से पहले या बाद में है

विनियोग।

3 ((c) x x 3 ((घ) x x x "

कोई भी उद्देश्य। अधिनियम की धारा 5 सी किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार पर कर लगाने का भी प्रावधान करती है। संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम, 1982 द्वारा अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी)56. (29) " आय पर कर "में एक प्रकार का कर शामिल है

उपकर लाभ कर;

ए) "माल की बिक्री या खरीद पर कर" में शामिल हैं

((क) किसी अनुबंध के अनुसरण के अतिरिक्त, किसी माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर, जिसे नकद के लिए दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है।

भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार;

(ख) निष्पादन में शामिल वस्तुओं (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) में संपत्ति के हस्तांतरण पर कर।

एक कार्य अनुबंध का;

(ग) किराया खरीद या किसी भी वस्तु पर माल की डिलीवरी पर कर

किश्तों द्वारा भुगतान की प्रणाली;

(घ) किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर (चाहे वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं)

नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल;

(ई) किसी भी अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय द्वारा उसके किसी सदस्य को नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल की आपूर्ति पर कर;

(च) किसी सेवा के माध्यम से या उसके हिस्से के रूप में या किसी अन्य तरीके से, जो भी हो, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पर कर।

या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य वस्तु या कोई पेय (चाहे वह मादक हो या न हो), जहां ऐसी आपूर्ति या सेवा नकद, आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान के लिए हो।

विचार करें,

1 किसी भी वस्तु के ऐसे हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति को हस्तांतरण करने वाले व्यक्ति, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी द्वारा उन वस्तुओं की बिक्री माना जाएगा।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं की डिलीवरी या आपूर्ति और खरीद जिसे ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति की जाती है;

(जोर दिया गया)

22. माल की बिक्री या खरीद पर कर में इसके लिए कर शामिल है -

माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण बिक्री माना जाता है। विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है। कंपनी और पोर्ट ट्रस्ट के बीच हुए चार्टर समझौते को देखते हुए इस पर विचार किया जाना चाहिए। जिन निविदा दस्तावेजों के अनुसार समझौता किया गया है, उनमें निविदाकारों के लिए शर्तें और निर्देश शामिल हैं। इससे पहले

योग्यता मानदंड प्रदान करते हैं कि निविदाकर्ता को नंगी नाव पर रस्साकशी के स्वामित्व या कब्जे के संबंध में दस्तावेज जमा करने होते हैं। यदि वह रस्साकशी का मालिक नहीं है, तो उसे यह साबित करने के लिए दस्तावेज प्रदान करने होंगे कि उसने अनुबंध की अवधि के दौरान पोर्ट ट्रस्ट में उन्हें तैनात करने के लिए रस्साकशी के चार्टर किराए के लिए पट्टा लिया है। निविदाकर्ता को पिछले 3 वर्षों के दौरान एक वर्ष के लिए संचालन और बंदरगाह अभ्यास का अनुभव होना चाहिए। अनुबंध अवधि के दौरान न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर बंदरगाहों पर टग तैनात किए जाने चाहिए।

23. अनुबंध की सामान्य शर्तों को भी निर्दिष्ट किया गया है

निविदा दस्तावेज। निविदाकारों को दिए गए निर्देशों के पैरा 5 (ए), 6 (ii) नीचे दिए गए हैं:

" 5 . पूर्व-गुणवत्ता मानदंडः

तकनीकी-वाणिज्यिक क्षमता साबित करें और प्रस्तुत करें इसके समर्थन में दस्तावेज़ः

क) निविदाकर्ता के पास या तो स्वामित्व होना चाहिए या उसके कब्जे में होना चाहिए

नंगी नाव/प्रतिबद्ध डेथ चार्टर किराया या रस्साकशी पर रस्साकशी करें। मामले में निविदाकर्ता के पास रस्साकशी नहीं है, उसे वैध जमा करना चाहिए

यह साबित करने के लिए दस्तावेज कि उसने चार्टर के लिए पट्टा लिया है

अवधि के दौरान एन. एम. पी. टी. में उन्हें तैनात करने के लिए रस्साकशी का किराया अनुबंध "।

'एनवेलोप नो. ए.' के रूप में। इसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे। और जानकारी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((i) एक्स एक्स एक्स

((ii) टग/टग के स्वामित्व का प्रमाण कि उसने एक बेयर बोट प्रतिबद्ध डेथ चार्टर समझौते में प्रवेश किया था और

प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य दस्तावेज, इसके अनुसार

खंड 5 (ए) "।

24. सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 5,6,13 और 15 में दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं:

" 5. करों का भुगतान:

ठेकेदार सभी करों, शुल्कों आदि का भुगतान करेगा जो वह कर सकता है।

राज्य सरकार या भारत सरकार या किसी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्य प्राधिकारी

किसी अनुबंध के निष्पादन के संबंध में या उसके अनुसार।

ठेकेदार आगे इस तरह की वृद्धि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा

मौजूदा कानून के तहत कर, लेवी, शुल्क आदि या जो किसी कानून के लागू होने, करों में वृद्धि, लेवी, आदि के परिणामस्वरूप देय हो सकते हैं।

शुल्क आदि या नए करों का अधिरोपण, शुल्क आदि।

6. स्वतंत्रता:

इसके बावजूद कि सभी उचित और उचित सावधानियां हो सकती हैं

मुद्रा के दौरान हर समय ठेकेदार द्वारा लिया गया है

समझौते के बावजूद, ठेकेदार पूरी तरह से होगा चार्टरर्स की संपत्ति को हुए सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार

समझौते की मुद्रा "। " 13. पुरस्कार की सूचना:

(a) x x x

(ख) स्वीकृति पत्र उस कंपनी के नाम से जारी किया जाएगा जिसने निविदा खरीदी/जमा की है।

(ग) रस्साकशी की डिलीवरी के लिए गिनती का समय स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से शुरू होगा।

सफल निविदाकर्ता एक बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा पनम्बुर/मैंगलोर में है।

चार्टर पार्टी समझौते के साथ, अनुपालन के लिए

10 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए अनुबंध के नियम और शर्तें

औसत वार्षिक अनुबंध मूल्य।

यह गारंटी ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के लिए वैध होगी। लिमिटेड। वी. ई ऑफ कर्नाटक एंड ओआरएस। [अरुण मिश्रा, जे।]

प्रारंभ होने की तारीख से 9 महीने की कुल अवधि

आरविस "।

विशेष शर्तों के खंड 1 और 3 से 15 जो हैं -

ई यहाँ नीचे निकाला गया है: अनुबंध की शर्तें:

1. मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या कोई अन्य अधिनियम, भत्ते, लाभ, बीमा (व्यक्तिगत), हल और मशीनरी, संरक्षण और क्षतिपूर्ति) सहित सभी परिचालन लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। मरम्मत, सर्वेक्षण और

रस्साकशी को चालू रखने के लिए अन्य आवश्यकताएं ठेकेदार के खाते में होंगी और शुल्क से रस्साकशी की अनुपस्थिति या इन या किसी अन्य कारणों से रस्साकशी करने में असमर्थता के दौरान, किराए के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उस अवधि के लिए रस्साकशी को चार्टरकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया था, अनुपात के आधार पर और धारा 16

चार्टर पार्टी समझौता लागू होगा।

2. XXXX

XXXXXXX

3. सेवा शुरू होने की तारीख को रस्साकशी करने वाले ने सभी आवश्यक सर्वेक्षण पूरे कर लिए होंगे और उसके पास सभी वैध प्रमाण पत्र होंगे। चार्टर पर रस्साकशी की डिलीवरी की तारीख से न्यूनतम दो साल की अवधि के लिए ड्राईडॉकिंग की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

4. इससे पहले एनएमपीटी में एक संयुक्त सर्वेक्षण किया जाएगा।

रस्साकशी की स्थिति, क्षमता और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बंदरगाह में सेवा के लिए रस्साकशी स्वीकार की जाती है और ईंधन, स्नेहक आदि की मात्रा।

5. ऑन-हायर और ऑफ-हायर सर्वेक्षण शुल्क वहन किया जाएगा।

समान रूप से चार्टर और ठेकेदारों द्वारा।

6. चार्टरकर्ता किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

टग मास्टर और चालक दल की रस्साकशी या त्रुटियों की विफलता या किसी भी कारण से रस्साकशी का सामना करना पड़ा।

7. यह अनुबंध सेवा शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए होगा। अनुबंध एन. एम. पी. टी. के विवेक और विकल्प पर एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

चार्टरकर्ता पहले एक वर्ष की अवधि की समाप्ति से 30 दिन पहले विस्तार के विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

8. रस्साकशी बंदरगाह संचालन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

अनुबंध अवधि के दौरान चौबीसों घंटे (दिन में 24 घंटे)।

9. ठेकेदार भारतीय मर्चेंट शिपिंग अधिनियम और भारतीय क्षेत्रीय जल में रस्साकशी के संचालन से संबंधित किसी भी अन्य कानून का पालन करेगा, और यदि विदेशी रजिस्ट्री का है, तो वह जहाजरानी महानिदेशालय से उचित लाइसेंस/अनुमति प्राप्त करेगा।

एन. एम. पी. टी. में टग के संचालन के लिए मुंबई।

10. ठेकेदार को उनके द्वारा नियुक्त चालक दल को संशोधित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होता है। यदि चालक दल 8 घंटे से अधिक समय तक लगा रहता है, तो उन्हें क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

अतिरिक्त काम। ठेकेदार को बीमा लेना पड़ता है।

सभी कर्मचारियों के सभी प्रकार के जोखिमों को शामिल करने वाली नीति

उनके द्वारा नियुक्त।

11. ठेकेदार उपसंरक्षक की संतुष्टि के लिए अनुबंध के अनुसार कार्यों को सख्ती से पूरा करेगा और किसी भी मामले में उसके निर्देशों और निर्देश का सख्ती से पालन करेगा।

(चाहे अनुबंध में उल्लिखित हो या नहीं)।

12. टग को स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, समुद्र योग्य और कुशल स्थिति में वितरित किया जाएगा, और सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों के कब्जे में होना चाहिए।

13. यदि ठेकेदार हर तरह से रस्साकशी करने में विफल रहता है

स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर, रुपये की दर से नुकसान का परिसमापन किया गया।

30,000 / - ठेकेदार पर प्रति दिन शुल्क लगाया जाएगा, और यदि स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर टग को संचालन के लिए वितरित नहीं किया जाता है, तो अनुबंध

रद्द कर दिया जाएगा और ई. एम. डी. जब्त कर ली जाएगी।

14. ठेकेदार आवश्यक मंजूरी प्राप्त करेगा, जैसे

D.G.Shipping, सतह मंत्रालय द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी से आवश्यक है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

सेवा के लिए रस्साकशी तैनात करने के लिए परिवहन, आदि

टग को सेवा में डालने से पहले पोर्ट।

15. टग का स्थिर/निरंतर बोलार्ड खिंचाव नहीं होना चाहिए

डिलीवरी के समय 40 टन से कम होना चाहिए। बोलार्ड

पुल टेस्ट सर्टिफिकेट क्लासिफिकेशन सोसाइटी से होना चाहिए।

और तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए

एन. एम. पी. टी. को रस्साकशी की डिलीवरी "।

26. समझौते के प्रासंगिक खंड। , खंड 1,3,4,5,7,

1 , 12 , 13 , 14 , 14 (क), 15,16,17,21 और 22 इस प्रकार हैं:

" अनुलग्नक-I

चार्टर पार्टी समझौता

एक्स एक्स एक्स अब यह समझौता गवाह।

1. ठेकेदारों ने अच्छा जहाज किराए पर लिया और चार्टर लेने वाले ने

से प्रभावी छह महीने की अवधि के लिए

सेवा की शुरुआत। (रविवार या कानूनी अवकाश नहीं है।

जब तक जहाज पर कब्जा नहीं किया जाता है) जहाज को वितरित किया जाता है और उस पर रखा जाता है

चार्टरर्स और ठेकेदार का निपटान करने का उपक्रम

3. आवश्यक विभिन्न वैध सेवाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला पोत जहाज की टोइंग, डॉकिंग और अनडॉकिंग सहित चार्टरर्स

नया मंगलोर बंदरगाह चौबीसों घंटे (दिन में 24 घंटे) और छह महीने की अनुबंध अवधि के दौरान, जिसमें शामिल हैं लेकिन नहीं

इन तक सीमित:

क) बंदरगाह में जहाजों की बर्थिंग और अनबर्थिंग।

ख) आग के तैरते रहने के लिए, तेल रिसाव फैलाने वाले का छिड़काव

नाव आदि।

ग) डॉकिंग के रूप में कार्य करके दोहरी बैंकिंग में सहायता करना।

टग।

घ) वी. एच. एफ. द्वारा संचार बनाए रखना।

ई) डॉकिंग के संबंध में आवश्यक अन्य सभी संचालन /

बंदरगाह पर और उससे संबंधित जहाजों के संचालन को बंद करना

बंदरगाह संरक्षण और/या जहाजों की आवाजाही

बंदरगाह और ऐसे अन्य संचालन जो पारंपरिक रूप से होते हैं बंदरगाहों द्वारा किया गया।

यदि टग किसी भी ऑपरेशन को करने में असमर्थ है, तो चार्टर द्वारा ठेकेदार को कोई किराया नहीं दिया जाएगा और चार्टर पार्टी समझौते का खंड 16 लागू होगा।

4. प्रदान करने के लिए ठेकेदारः

पूर्वगामी में शामिल होंगे। (क) ठेकेदार के लिए ड्राइडॉकिंग, मरम्मत, डॉकिंग,: उद्देश्य और उससे जुड़े सभी खर्च, (ख) प्रावधान, मजदूरी (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार) आदि। , परिवहन और निर्वहन शुल्क; और मास्टर, अधिकारियों और चालक दल के अन्य सभी खर्च (सी) डेक, केबिन और चल रहे कमरे की दुकानें (डी) टोविंग रस्सियों की पर्याप्त संख्या

परीक्षित और प्रमाणित (ओ) गैली ईंधन, (च) पोत का समुद्री और युद्ध जोखिम बीमा (छ) धूमन और अवमूल्यन छूट प्रमाण पत्र (छ) पूर्वगामी में से किसी के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी सीमा शुल्क, या आयात शुल्क (1) ठेकेदार, उसके कर्मचारियों की आय पर लगाए गए करों, शुल्कों और शुल्कों सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं सभी कर, शुल्क और शुल्क, आदि।

ठेकेदारों द्वारा की गई खरीद और/या समय-समय पर किसी भी प्राधिकरण द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना।

5. जहाज के किराए पर ईंधन, स्नेहक, पानी, बिजली, बंदरगाह शुल्क और प्रदूषक रोधी पर होने के दौरान प्रदान करने के लिए चार्टर। चार्टर द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार वास्तविक आग बुझाने के मामले में, आग बुझाने के लिए खपत किए गए फोम/रसायनों की लागत की प्रतिपूर्ति चार्टर द्वारा वास्तविक रूप से की जाएगी। 6. डिलीवरी के बंदरगाह पर चार्टरर्स और पुनर्वितरण के बंदरगाह पर ठेकेदार मैंगलोर में पोत में शेष सभी ईंधन और स्नेहक के लिए भुगतान करते हैं।

7. रखरखाव और संचालनः

(क) पोत, चार्टर अवधि के दौरान, सभी उद्देश्यों के लिए चार्टरर्स के निपटान में और हर मामले में नियंत्रण में होगा। ठेकेदार पोत, मशीनरी, उपकरण और स्पेयर पार्ट्स को मरम्मत की अच्छी स्थिति, अक्षम संचालन स्थिति और महान आसान शिपिंग कंपनी में बनाए रखेगा।

लिमिटेड। वी. टी. ई. ऑफ कर्नाटक एंड ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

अच्छे वाणिज्यिक रखरखाव के अनुसार

अभ्यास करें और वे पोत को वर्ग/एम. एम. डी. के अप्रचलित वर्गीकरण के साथ और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ रखेंगे। हर समय लागू प्रमाण पत्र।

(ख) चार्टरकर्ता के पास डिलीवरी के समय बोर्ड पर सभी कपड़ों, उपकरणों और उपकरणों का उपयोग होगा। ठेकेदार, समय-समय पर चार्टर अवधि के दौरान, उपकरणों की ऐसी वस्तुओं को बदलेगा जो इतनी क्षतिग्रस्त या पहनी हुई हों कि उपयोग के लिए अनुपयुक्त हों। ठेकेदार

सभी मरम्मत या प्रतिस्थापन करेगा क्षतिग्रस्त, घिसे हुए या खोए हुए पुर्जे या उपकरण इस तरह से (कारीगरी और सामग्री की गुणवत्ता दोनों के संबंध में) ताकि पोत के मूल्य और दक्षता में कमी न आए।

एक्स एक्स एक्स

निरीक्षणः

यदि ठेकेदार सामान्य स्थिरीकरण/वैधानिक अंतराल पर पोत को डॉक नहीं कर रहा है तो चार्टरकर्ताओं को पोत को डॉक करने की आवश्यकता का अधिकार होगा। इस तरह के ड्राई डॉक/पेक्शन और सर्वेक्षण के लिए शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा। हर समयड्राई डॉकिंग, निरीक्षण, सर्वेक्षण या मरम्मत के संबंध में किराए पर लिए गए समय के रूप में गिना जाएगा और यह चार्टर का हिस्सा नहीं होगा और चार्टर पार्टी समझौते का खंड 16 लागू होगा।

बीमाः

(क) चार्टर अवधि के दौरान, ठेकेदारों द्वारा पोत का बीमा उनके खर्च पर किया जाएगा।

समुद्री हल और मशीनरी और युद्ध के जोखिम। चार्टरकर्ताओं और/या बीमाकर्ताओं को ऐसे बीमा द्वारा कवर किए गए पोत या उसकी मशीनरी या सहायकों को किसी भी नुकसान के नुकसान के कारण या उनके खिलाफ दावों के निर्वहन के लिए किए गए भुगतान के कारण ठेकेदारों के खिलाफ वसूली या पूछताछ का कोई अधिकार नहीं होगा। पोत या चार्टरर्स की देनदारियां जो इस तरह से कवर की जाती हैं

बीमा।

(ख) चार्टर अवधि के दौरान, [2019] 17 एस. सी. आर. के रूप में संरक्षण और क्षतिपूर्ति जोखिमों के खिलाफ ठेकेदारों द्वारा अपने खर्च पर पोत का बीमा किया जाएगा।

चार्टर देने वाले लिखित रूप में अनुमोदन करेंगे कि कौन सा अनुमोदन अनुचित रूप से नहीं रोका जाएगा। यदि ठेकेदार उपखंड (ख) के प्रावधानों के तहत प्रदान किए गए किसी भी बीमा की व्यवस्था करने और उसे उसमें वर्णित तरीके से रखने में विफल रहते हैं, तो चार्टर ठेकेदारों को सूचित करेंगे, जिसके बाद ठेकेदार स्थिति में सुधार करेंगे।

सात दिनों के भीतर।

(ग) ठेकेदारों की ओर से किसी भी कार्य या लापरवाही की स्थिति में जो इसके तहत किसी भी दावे को दूषित कर सकता है

बशर्ते कि ठेकेदार चार्टरकर्ताओं को उन सभी दावों और मांगों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो अन्यथा इस तरह के बीमा के दायरे में आते।

12. चार्टरर्स के निपटान में वैध डेक क्षमता सहित पोत की पूरी पहुंच और बोझ, उचित रूप से आरक्षित और पोत के मालिक, अधिकारियों, चालक दल, सामान, परिधान, फर्नीचर, प्रावधानों और दुकानों के लिए पर्याप्त जगह।

13. पोत में वैधानिक विनियमन के अनुसार सक्षम और योग्य टग मास्टर और चालक दल का एक समूह होना चाहिए।

14. (क) मास्टर को अधिकतम प्रेषण के साथ चार्टर के निर्देशों को निष्पादित करना और पोत के चालक दल के साथ प्रथागत सहायता प्रदान करना। मास्टर रोजगार, एजेंसी या अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चार्टरर्स के आदेश के तहत होना चाहिए। सभी परिणामों के खिलाफ चार्टरर्स को क्षतिपूर्ति करने के लिए ठेकेदार

या मास्टर, अधिकारियों या एजेंटों से उनके गैरकानूनी कार्यों के साथ-साथ पोत की व्यवस्था में किसी भी अनियमितता के लिए उत्पन्न होने वाली देनदारियाँ।

कागजात। (ख) यदि चार्टरर्स के पास मास्टर, चालक दल के अधिकारी के आचरण या दक्षता से असंतुष्ट होने का कारण है, तो शिकायत का विवरण प्राप्त करने पर ठेकेदार तुरंत मामले की जांच करें और यदि आवश्यक हो, तो नियुक्ति में बदलाव करें। हालांकि, चार्टरर्स को किसी भी मास्टर या अन्य चालक दल के परिवर्तन की मांग करने का अधिकार होगा, जो मांग अनुचित नहीं होगी।

15. चार्टर या उनके प्रतिनिधि टाइल मास्टर को अंग्रेजी में और मास्टर और इंजीनियर को रखने के लिए सभी निर्देश देंगे।

अंग्रेजी में पूर्ण और सही लॉग, चार्टरर्स के लिए सुलभ।

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

16. सजाः

(क) यदि पोत निष्क्रिय और/या अनुपलब्ध है, और चार्टरकर्ता को पोत के उपयोग से वंचित कर दिया जाता है, दंड उस समय और तारीख से लगाया जाएगा जब वह संचालन में होगा/उसके बाद उपलब्ध नहीं होगा।

चार्टर किराया शुल्क का भुगतान न करने के अलावा, ठेकेदारों के ऋण के भुगतान के लिए किसी भी प्रकार की कमी की अनुमति देना।

इस तरह के निगमन के समय और तिथि से गैर-उपलब्धता, ब्रेक डाउन/संचालन के समय और तिथि तक ठेकेदार के क्रेडिट के लिए किसी भी डाउनटाइम का पालन करने के बाद

..... 15 % प्रति दिन किराया शुल्क।

14 दिनों तक

..... 30 % प्रति दिन किराया शुल्क।

15 21 दिनों तक

.... 50 % प्रति दिन किराया शुल्क।

22 दिनों से आगे।

30 दिनों के बाद रस्साकशी की गैर-तैनाती के मामले में, अनुबंध चार्टरकर्ता के विवेक पर समाप्ति के लिए उत्तरदायी होगा, और चार्टर पार्टी समझौते का खंड 22

आवेदन करें। (ख) यदि पोत को वर्ग (एल. आर. एस./किसी अन्य वर्गीकरण सोसायटी) द्वारा आवश्यकता के अनुसार सूखा-डॉक किया जाना आवश्यक है, या किसी अन्य कारण से, ठेकेदारों को पोत को उसके वर्ग के रखरखाव के लिए पूर्व अनुमोदन के साथ ड्राई डॉक करने की अनुमति दी जाएगी।

संरक्षक, लेकिन उस अवधि के लिए कोई किराया शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, और यदि लागू हो तो उपरोक्त खंड 16 (ए) के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

17. ठेकेदारों को जुटाने और विमुद्रीकरण के लिए सभी खर्च वहन करने होंगे।

21. ठेकेदार प्रदूषण क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे और सफाई की लागत जो ठेकेदार और/या ठेकेदार के कर्मियों के कारण जानबूझकर, जानबूझकर, जानबूझकर किए गए कार्यों या चूक या घोर लापरवाही के कारण हुई है।

किसी भी स्रोत से किसी भी प्रदूषक का निर्वहन, रिसाव या रिसाव

जो भी हो।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. कार्यकुशलता गारंटीः

ठेकेदार स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर चार्टरकर्ताओं को चार्टर देने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

एक राष्ट्रीयकृत बैंक से औसत के 10 प्रतिशत के बराबर राशि के लिए एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त बैंक गारंटी एक वर्ष के चार्टर की अवधि के लिए संगणित वार्षिक अनुबंध मूल्य। यह अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी सेवा शुरू होने की तारीख से कुल 30 महीने की अवधि के लिए वैध होगी। इस समझौते के तहत की गई किसी भी प्रतिबद्धता का सम्मान करने में ठेकेदारों के विफल रहने की स्थिति में, चार्टरर्स के पास उक्त बैंक गारंटी का आह्वान करने और बैंक से राशि का दावा करने के लिए गारंटी के तहत एक बिना शर्त विकल्प होगा। बैंक माँग पर चार्टरकर्ता को भुगतान करने के लिए बाध्य होगा।

27. चार्टर पार्टी समझौते, अनुलग्नक I के अनुसार, पोत को पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आवश्यक विभिन्न वैध सेवाओं के लिए लिया गया है

6 महीने की अनुबंध अवधि के लिए बंदरगाह पर चौबीसों घंटे टोइंग, डॉकिंग और अनडॉकिंग सहित चार्टर्ड पोर्ट ट्रस्ट द्वारा। ठेकेदार जो कंपनी है, उसे पोत, उसके मालिक और चालक दल से संबंधित लागत या खर्च प्रदान करना होता है, जबकि चार्टर लेने वाले को ईंधन, स्नेहक, पानी, बिजली, बंदरगाह शुल्क और प्रदूषक रोधी प्रदान करना होता है। रखरखाव और संचालन के प्रावधान भी समझौते में शामिल हैं। खंड 7 के अनुसार, चार्टर अवधि के दौरान पोत सभी उद्देश्यों के लिए चार्टरकर्ताओं के निपटान में और हर मामले में उनके नियंत्रण में होगा, जबकि रखरखाव का हिस्सा ठेकेदार कंपनी के पास होगा। किराएदार के पास जहाज पर सवार सभी परिधानों, उपकरणों और उपकरणों का उपयोग होगा। वितरण। बीमा शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना है। पोत का बीमा ठेकेदारों द्वारा उनके खर्च पर सुरक्षा और क्षतिपूर्ति जोखिमों के खिलाफ किया जाएगा। पोत की पूरी पहुंच और बोझ, जिसमें किराएदार के निपटान में रखी जाने वाली वैध क्षमता भी शामिल है।

28. एक प्रदर्शन गारंटी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए

रस्साकशी का चार्टर किराया, और यदि वह मालिक नहीं है, तो उसे साबित करना होगा कि उन्होंने अनुबंध की अवधि के दौरान मैंगलोर बंदरगाह पर उन्हें तैनात करने के लिए रस्साकशी के चार्टर किराए के लिए पट्टे में प्रवेश किया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

इसके बारे में कि जैसा कि निविदाकारों को दिए गए निर्देशों के पैरा 6 (vii) में दिया गया है कि टग को न्यूनतम के अनुसार उचित रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

अनुबंध अवधि के दौरान हार्बर क्राफ्ट नियमों की आवश्यकता, और यह निविदाकार की जिम्मेदारी है। अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 6 के अनुसार, ठेकेदार सभी के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

मुद्रा के दौरान चार्टर की संपत्ति को नुकसान

समझौता। क्षतिपूर्ति खंड अपनी संपत्ति को किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करता है; ठेकेदार द्वारा प्रदान किया जाना है।

30. विशेष शर्तों की शर्त 1 में कहा गया है कि मजदूरी सहित सभी परिचालन लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जानी चाहिए। रस्साकशी रखने के लिए

शर्त संख्या 8 के अनुसार अनुबंध अवधि के दौरान चौबीसों घंटे बंदरगाह संचालन के लिए उपलब्ध कराया गया। ठेकेदार को भारतीय मर्चेंट शिपिंग अधिनियम और रस्साकशी संचालित करने के लिए लाइसेंस/अनुमति के रूप में कानून के प्रावधानों का पालन करना होगा। अपने कर्मचारियों को संशोधित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना ठेकेदार का दायित्व है। ठेकेदार उपसंरक्षक की संतुष्टि के लिए काम को सख्ती से करेगा, और स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रस्साकशी की जाएगी। 32. चार्टर समझौता बंदरगाह के निपटान में खंड 3 में अनुबंध अवधि के दौरान चौबीसों घंटे सेवाएं भी प्रदान करता है।

ठेकेदार को मालिक और चालक दल के लिए खर्च का भुगतान करना पड़ता है। खंड 5 के अनुसार, किराएदार को जहाज के किराए पर होने के दौरान, ईंधन, स्नेहक, पानी, बिजली, बंदरगाह शुल्क और प्रदूषक-रोधी प्रदान करना होता है। खंड 7 (ए) के अनुसार, पोत सभी उद्देश्यों के लिए चार्टरकर्ता के निपटान में और ठेकेदार के नियंत्रण में होगा, और जैसा कि चार्टर समझौते के खंड 7 (बी) में प्रदान किया गया है, चार्टरकर्ता के पास [2019] 17 एस. सी. आर. होगा।

सभी परिधानों, उपकरणों और उपकरणों का उपयोग। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीमा ठेकेदार का दायित्व है। क्षतिपूर्ति भी समझौते के तहत ठेकेदार की देनदारी है। वैध डेक क्षमता सहित एक पोत की पूरी पहुंच और बोझ, पट्टेदार के निपटान में होता है, जिसमें पोत के मालिकों, अधिकारियों आदि के लिए उचित और पर्याप्त जगह आरक्षित होती है। एक प्रदर्शन गारंटी भी प्रस्तुत करनी होगी।

33. जब हम चार्टर पार्टी समझौते (अनुलग्नक I) के विभिन्न नियमों और शर्तों का अध्ययन करते हैं, तो खंड 1 में यह प्रावधान है कि ठेकेदार मालवाहक पोत को छह महीने के लिए "किराए पर" देते हैं। अभिव्यक्ति 'लेट' का उपयोग किया गया है, और चार्टर अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पोत को चार्टरर्स के "निपटान" में और हर मामले में उनके नियंत्रण में रखा गया है। द.

चार्टरर्स को डिलीवरी के समय पोत पर सभी परिधानों, उपकरणों और उपकरणों का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें पूरी पहुंच, बोझ और डेक क्षमता शामिल है। इस प्रकार, हमारी सुविचारित राय में, केवल कर्मचारियों, बीमा, क्षतिपूर्ति और अन्य प्रदान करके अधिकारियों की लागत वहन करने की जिम्मेदारियाँ। पूरे के लिए प्रभावी नियंत्रण

चार्टरकर्ताओं को छह महीने की अवधि दी गई है। यह पोत का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण का मामला है जिसके लिए ठेकेदार द्वारा कुछ खर्च और कर्मचारी प्रदान किए जाने हैं, जो इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

कि वाहन का नियंत्रण और कब्जा ठेकेदार के पास है। कब्जा और नियंत्रण स्पष्ट रूप से चार्टर करने वाले के पास है। सार के रूप में, यह विभिन्न स्थितियों के एक संयुक्त पठन से देखा जाना चाहिए कि क्या पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है। हमारी सुविचारित राय में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चार्टर समझौते के तहत निविदाकारों को दिए गए निर्देशों, सामान्य शर्तों और निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुबंध के लिए विशेष शर्तों के साथ और

चार्टर-पार्टी खंड, समझौते में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण होता है।

वितरित किया गया। पोत के बारे में कोई विवाद नहीं है और किराएदार को माल का उपयोग करने का कानूनी अधिकार है, और अनुमति/लाइसेंस बनाया गया है। ठेकेदार के अपवर्जन के लिए चार्टरकर्ता के लिए उपलब्ध। इस प्रकार, उपयोग के अधिकार का पूर्ण हस्तांतरण होता है। यह नहीं कहा जा सकता कि

समझौता और वे शर्तें जिनके अधीन यह किया गया है, नहीं है

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी को छह महीने की अवधि के दौरान माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

ठेकेदार को किसी और को उपयोग के लिए पोत देने का कोई अधिकार नहीं है।केएसटी अधिनियम की धारा 2 में अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी), धारा और 'बिक्री' की परिभाषा में जोड़े गए प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कोई प्रावधान नहीं है।

संदेह के लिए कि पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है।

35. मूर्त संपत्ति के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण क्या है

विभिन्न निर्णयों में निपटा जाता है। भारत संचार निगम में

& एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। , (2006) 3 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने इस प्रकार कार्य कियाः

" 42. अनुच्छेद 366 (29-ए) के सभी उपखंड लाने का काम करते हैं।

ऐसे लेन-देन जहां माल की बिक्री अधिनियम, 1930 में परिभाषित बिक्री के एक या अधिक आवश्यक तत्व बिक्री कर लगाने के लिए खरीद और बिक्री के दायरे में नहीं हैं। इस हद तक, केवल मद्रास राज्य बनाम में सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है।

गैनन डंकरली लिमिटेड एंड कंपनी (मद्रास) लिमिटेड, ए. आई. आर. 1958 एस. सी.

560 (sic संशोधित)। संशोधन विशेष रूप से विशिष्ट अनुमति देता है मिश्रित अनुबंध अर्थात। कार्य अनुबंध [उप-खंड (बी)]; किराया खरीद अनुबंध [उप-खंड (सी)], कानूनी कल्पना द्वारा खानपान अनुबंध [उप-खंड (ई)] विभाज्य अनुबंध होने के लिए जहां बिक्री तत्व को अलग किया जा सकता है और बिक्री कर के अधीन किया जा सकता है।

44. विभिन्न प्रकार के समग्र लेन-देनों में से,

छियालिसवें संशोधन के मसौदों ने तीन विशिष्ट विकल्प चुने

अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (बी) और (एफ) में अनुज्ञात ऐसी कोई अन्य सेवा नहीं है जिसकी अनुमति दी गई हो। विभाजित। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 366 (29-ए) के उपखंडों में अस्पताल की सेवाएं शामिल नहीं हैं। इसलिए, यदि उपचार के दौरान ए

अस्पताल में रोगी को एक गोली दी जाती है, क्या बिक्री कर अधिकारी बिक्री के रूप में लेनदेन पर कर लगा सकते हैं? डॉक्टर, वकील और अन्य पेशेवर सेवा प्रदान करते हैं, जिसके दौरान यह कहा जा सकता है कि सामान की बिक्री तब होती है जब कोई डॉक्टर एक पर्ची लिख कर सौंपता है या कोई वकील एक दस्तावेज़ का मसौदा तैयार करता है और उसे अपने मुवक्किल को वितरित करता है? सख्ती से बोलते हुए, भुगतान के साथ

शुल्क का, विचार रोगी या ग्राहक से गुजरता है

दोनों ही मामलों में दस्तावेजों के लिए डॉक्टर या वकील।

45. सूची 2 की प्रविष्टि 54 के प्रयोजनों के लिए इन सेवाओं में बिक्री शामिल नहीं होने का कारण, जैसा कि हम देखते हैं, अंततः गन्नन डंकरले मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों के कारण है, अर्थात्, यदि अनुबंध का कोई साधन है जो अनुच्छेद 366 (29-ए) में अपवादों के अलावा किसी भी मामले में समग्र रूप में हो सकता है, जब तक कि वास्तव में लेनदेन दो अलग-अलग अनुबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इस तरह से स्पष्ट नहीं है, तब तक राज्य को अलग करने की शक्ति नहीं होगी। सेवा प्रदान करने के लिए समझौते से बेचने का समझौता, और बिक्री पर कर लगाना। इसलिए, अनुच्छेद 366 (29-ए) में उल्लिखित अनुबंधों के अलावा अन्य समग्र अनुबंधों के लिए परीक्षण जारी हैः क्या पक्षों के मन में माल की बिक्री से उत्पन्न होने वाले अलग-अलग अधिकार थे या उनका इरादा था? यदि ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो कोई बिक्री नहीं है, भले ही अनुबंध को विघटित किया जा सके। यह तय करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध एक श्रेणी या दूसरी में आता है, परीक्षण यह है कि "अनुबंध का सार" क्या है।

अनुबंध "। हम, एक बेहतर वाक्यांश के अभाव में, इसे प्रमुख प्रकृति परीक्षण कहेंगे।

50. इसलिए, बिक्री लेन-देन में "माल" क्या हैं, यह मुख्य रूप से अनुबंध और इरादे का मामला बना रहता है। विक्रेता और ऐसे खरीदार को बिक्री या खरीद की विषय वस्तु के बारे में पता होना चाहिए। न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि पक्षकारों का क्या इरादा था जब उन्होंने बिक्री के किसी विशेष लेनदेन में प्रवेश किया था, जो कि बिक्री या खरीद का विषय था। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने में, न्यायालय को मामले के दृष्टिकोण से संपर्क करना होगा औसत बुद्धि वाला विवेकपूर्ण व्यक्ति।

73. इस संबंध में, 20 वीं शताब्दी वित्त निगम में निर्णय। लिमिटेड वी. महाराष्ट्र राज्य, (2000) 6 एस. सी. सी. 12, को इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) (डी) के प्रयोजनों के लिए बिक्री के लेनदेन को पूरा करने के लिए माल के कब्जे की डिलीवरी एक आवश्यक संगत नहीं है। उस निर्णय में, न्यायालय को यह निर्धारित करना था कि अनुच्छेद 366 (29-ए) के उपखंड (डी) के संदर्भ में बिक्री कर के प्रयोजनों के लिए कर योग्य घटना कहाँ हुई थी। कुछ राज्यों ने माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर लगाया था

उपयोग के समय माल का स्थान, चाहे वह उस स्थान पर हो जहां ऐसी वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए समझौता किया गया था। अन्य राज्यों ने ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी की डिलीवरी पर कर लगाया।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

हस्तांतरण के समझौतों के अनुसार राज्य में माल जबकि कुछ अन्य राज्यों ने इस आधार पर मानित बिक्री पर कर लगाया कि उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए समझौता उस राज्य के भीतर निष्पादित किया गया था (जैसा कि निर्णय के पैरा 2 में बताया गया है)। इस न्यायालय ने तीसरे दृष्टिकोण को बरकरार रखा, अर्थात्, केवल यह कि उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण वहाँ हुआ जहाँ समझौतों को निष्पादित किया गया था। इन परिस्थितियों में, न्यायालय ने कहा किः (एस. सी. सी पी. 42, पैरा 28) " 28. प्रतिवादियों की ओर से इस न्यायालय का कोई अधिकार नहीं दिखाया गया है कि जब तक माल वितरित नहीं किया जाता है, तब तक माल के उपयोग के अधिकार का कोई पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा। इस प्रकार, माल की डिलीवरी किसी भी माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर लगाने का आधार नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा विचार है कि जहां माल मौजूद है, वहां माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर योग्य घटना तब होती है जब पट्टेदार और पट्टेदार के बीच एक अनुबंध निष्पादित किया जाता है और ऐसी मानित बिक्री की बिक्री का स्थान वह स्थान होगा जहां उसके संबंध में अनुबंध निष्पादित किया जाता है। इस प्रकार, जहां हस्तांतरण की जाने वाली वस्तुएं उपलब्ध हैं, और पक्षों के बीच एक लिखित अनुबंध निष्पादित किया जाता है, यह उस समय माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर योग्य घटना की स्थिति होगी, और इस तरह की बिक्री की स्थिति

लेन-देन वह स्थान होगा जहाँ अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

(हमारा जोर दें)

74. माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण की स्थिति निर्धारित करने में, न्यायालय ने यह नहीं कहा कि माल का हस्तांतरण पूरा करने के उद्देश्यों के लिए माल की डिलीवरी अनिवार्य थी।

उपयोग करने का अधिकार। उद्धृत परिच्छेद में जोर दिए गए भाग

इस बात का प्रमाण है कि जब माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण होता है तो माल उपलब्ध होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी माना कि मौखिक अनुबंधों के लिए, हस्तांतरण का स्थान वह हो सकता है जहां माल वितरित किया जाता है (निर्णय का पैरा 26 देखें)।

75. हमारी राय में, अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) के तहत अधिकार का सार यह है कि यह माल के उपयोगकर्ता से संबंधित है। ऐसा हो सकता है कि हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए माल की वास्तविक डिलीवरी आवश्यक न हो। माल का उपयोग करने का अधिकार, लेकिन माल हस्तांतरण के समय उपलब्ध होना चाहिए, वितरण योग्य होना चाहिए और किसी स्तर पर वितरित किया जाना चाहिए। उपयोग के अधिकार को हस्तांतरित करने के लिए किसी भी समझौते के निष्पादन के समय यह माना जाता है कि माल उपलब्ध है और [2019] 17 एस. सी. आर.

पहुँचाने योग्य। यदि माल, या जिसे माल होने का दावा किया जाता है

उत्तरदाता, सेवा प्रदाताओं द्वारा वितरित नहीं किए जा सकते हैं

अभिदाताओं के लिए, उन वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का प्रश्न,

वह नहीं उठेगा। "

36. एक सहमत राय में, डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. बीएसएनएल में

(ऊपर) ने देखाः

" 97. अधिकार के हस्तांतरण के लिए एक लेनदेन का गठन करना

माल का उपयोग करें, लेन-देन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिएः

(क) डिलीवरी के लिए सामान उपलब्ध होना चाहिए; (ख) पहचान के बारे में सर्वसम्मति होनी चाहिए

माल;

(ग) हस्तांतरणकर्ता को माल का उपयोग करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए, इसके परिणामस्वरूप, इस तरह के उपयोग के सभी कानूनी परिणाम, जिसमें कोई भी अनुमति या उसके लिए आवश्यक लाइसेंस शामिल हैं।

हस्तांतरणकर्ता के लिए उपलब्ध होना चाहिए;

(घ) उस अवधि के लिए जिसके दौरान हस्तांतरणकर्ता को ऐसा कानूनी अधिकार है, यह हस्तांतरणकर्ता के लिए बहिष्करण होना चाहिए-यह क़ानून की साधारण भाषा का आवश्यक सहवर्ती है। एक "उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण" और नहीं

केवल माल का उपयोग करने का लाइसेंस;

(ङ) जिस अवधि के लिए माल का हस्तांतरण किया जाना है, उस अवधि के दौरान माल का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित करने के बाद, मालिक फिर से वही अधिकार दूसरों को हस्तांतरित नहीं कर सकता है।

37. चार्टर पार्टी समझौता निर्धारित परीक्षण को योग्य बनाता है।

इस न्यायालय द्वारा। अनुबंध के सार और नाममात्र प्रकृति परीक्षण को लागू करते हुए, पोत तब उपलब्ध था जब माल के उपयोग के अधिकार के लिए समझौता हुआ था। जहाज हस्तांतरण, वितरण और वितरण के समय उपलब्ध था और चार्टर पोर्ट ट्रस्ट के साथ छह महीने के लिए चौबीसों घंटे विशेष निपटान में था। इसका उपयोग

अनुज्ञप्ति आ अनुमतिक अधिकारक लेल आ ठेकेदार/स्थानान्तरणकर्ताक बहिष्करण लेल छल। ठेकेदार के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य के लिए पोत के उपयोग की अनुमति देना खुला नहीं था।

अन्य उद्देश्य।

38. डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. निदेशक, नगर और

देश योजना विभाग, हरियाणा और अन्य। , (2010) 14 अनुबंध की व्याख्या के लिए एस. सी. सी. 1 पर इस प्रकार भरोसा किया गया है:

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

" 12. कॉलोनी स्थापित करने के इरादे से भूमि के मालिकों द्वारा राज्यपाल के साथ किया जाने वाला समझौता आवश्यक है नियमों के नियम 11 द्वारा संरचित और विनियमित। समझौते के नियम और शर्तें और भूमि के मालिक के दायित्व और उसके अनुबंध वैधानिक रूप से निर्धारित किए गए हैं।

नियम। भूमि के मालिक और उसके खरीदारों के बीच अनुबंध, भूमि के मालिक द्वारा किए गए समझौते के विपरीत सरकार का किसी भी वैधानिक रूप में होना आवश्यक नहीं है। यह दो इच्छुक संविदाकारी पक्षों के बीच एक अनुबंध है जिसके तहत नियम और शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमति होती है। करारों

भूमि के स्वामी के बीच पारस्परिक दायित्वों का निर्धारण करना और

इसके खरीदार।

अनुबंध की व्याख्या 13. यह कानून में एक तय सिद्धांत है कि एक अनुबंध की व्याख्या उसके उद्देश्य के अनुसार की जाती है। एक अनुबंध का उद्देश्य हित, उद्देश्य, मूल्य, नीति है जिसे अनुबंध को वास्तविक बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें दलों का संयुक्त इरादा शामिल है। ऐसा प्रत्येक अनुबंध संविदात्मक पक्षों की निजी इच्छा की स्वायत्तता को व्यक्त करता है। यह पक्षों के बीच उचित, कानूनी रूप से संरक्षित अपेक्षाओं और इसके परिणामों पर निर्भरता पैदा करता है। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के चरित्र के अनुरूप, न्यायालय को अनुबंध के अंतिम उद्देश्य को मुख्य रूप से अनुबंध के गठन के समय पक्षों के संयुक्त इरादे से निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। यह किसी एक पक्ष का इरादा नहीं है; यह दोनों पक्षों का संयुक्त इरादा है और पक्षों का संयुक्त इरादा अनुबंध की संपूर्णता और इसके आसपास की परिस्थितियों से पता लगाया जाना है।

गठन।

14. जैसा कि एनसन के अनुबंध के कानून में कहा गया हैः

" अनुबंध के सामान्य कानून का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि पक्ष अपने लिए यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं कि कौन से प्राथमिक दायित्व हैं।

वे स्वीकार करेंगे। आज, स्थिति एक अलग रोशनी में देखी जाती है। अनुबंध की स्वतंत्रता को आम तौर पर एक उचित, सामाजिक, आदर्श के रूप में केवल इस हद तक माना जाता है कि अनुबंध करने वाले पक्षों के बीच सौदेबाजी की शक्ति की समानता को माना जा सकता है, और बड़े पैमाने पर समुदाय के हितों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है।

इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है कि नियमों और शर्तों को पक्षों द्वारा इच्छित के रूप में देखा जाना चाहिए, और यह [2019] 17 एस. सी. आर. पर आधारित होना चाहिए।

ई उद्देश्य, मूल्य और नीतियां जो अनुबंध के लिए डिज़ाइन की गई हैं

लीज़।

39. रिलायंस को ए. पी. और ए. एन. आर. राज्य में भी रखा गया है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, (2002) 3 एस. सी. सी. 314 इस प्रकार हैः

" 3. प्रतिवादी विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना का मालिक है। के लिए

इस्पात परियोजना का उद्देश्य, इसने विभिन्न कार्यों को आवंटित किया

ठेकेदार। प्रत्यर्थी ने परिष्कृत आपूर्ति करने का बीड़ा उठाया

उपयोग किए जाने के उद्देश्य से ठेकेदारों को मशीनरी

अनुबंधित कार्यों का निष्पादन और उसी के लिए शुल्क प्राप्त करना। अपीलार्थी ने एक अनंतिम मूल्यांकन किया जिसमें शुल्क लगाया गया था

अधिनियम की धारा 5-ई के तहत किराया शुल्क पर कर। द.

प्रत्यर्थी ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि अधिनियम की धारा 5-ई के तहत लगाए गए कर, किराए पर लेने की शक्ति का प्रयोग करते हैं।

1988-89 अवधि के दौरान एकत्र किए गए शुल्क अवैध थे और

असंवैधानिक है। अपीलार्थी ने रिट में एक जवाबी-शपथ पत्र दाखिल किया

याचिका में तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी अत्यधिक ऋण दे रहा था

प्रत्यर्थी द्वारा ऋण देने की मशीनरी के लिए शुल्क के रूप में एकत्र किया गया अधिनियम की धारा 5-ई के तहत कर देयता आकर्षित की गई।

4. उच्च न्यायालय ने जांच और बारीकी से जाँच के बाद

समझौते में निहित खंड और समझौते को देखना

समग्र रूप से, लेन-देन की प्रकृति को निर्धारित करने के लिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यर्थी और प्रत्यर्थी के बीच लेनदेन ठेकेदारों ने ठेकेदारों के पक्ष में मशीनरी का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण शामिल नहीं किया और संतुष्ट करने के अभाव में

अधिनियम की धारा 5-ई की आवश्यक आवश्यकता, अर्थात, हस्तांतरण

मशीनरी के उपयोग का अधिकार, द्वारा एकत्र किए गए किराया शुल्क ठेकेदारों से उत्तरदाता बिक्री कर के लिए बाध्य नहीं थे। सम्मिलित विभिन्न खंडों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और उनका विश्लेषण करने पर

समझौते में और, विशेष रूप से, खंड 1,5,7,13 और 14 को देखते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि लेन-देन में शामिल नहीं था ठेकेदारों के पक्ष में मशीनरी का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण।

उच्च न्यायालय इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था।

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

ठेकेदार का उपयोग प्रतिवादी का था कंपनी ; ठेकेदार प्रत्यर्थी के परियोजना कार्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए मशीनरी का उपयोग करने या उस अवधि के दौरान इसे बाहर निकालने के लिए स्वतंत्र नहीं था जब मशीनरी उसका उपयोग कर रही थी; यह शर्त कि ठेकेदार मशीनरी की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा जब तक कि वह साइट पर था, प्रत्यर्थी के कब्जे और मशीनरी के नियंत्रण के खिलाफ नहीं था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि अपीलीय उपायुक्त, काकीनाडा ने भी मूल्यांकन वर्ष 1986-87 और 1987-88 के संबंध में दिनांक 15-11-1999 के आदेश में कहा कि समझौते के नियमों और शर्तों के तहत, ठेकेदार के पक्ष में मशीनरी का उपयोग करने के अधिकार का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया था। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को निर्धारण वर्ष 1988-89 के संबंध में अन्यथा तर्क देने से रोक दिया गया था, यह एक

अतिरिक्त कारक और परिस्थिति, जो स्थिति का समर्थन करती है

उत्तरदाता "।

तथ्यों पर उपरोक्त मामला यह है कि जब मशीनरी ठेकेदार के उपयोग में थी, तो उसका प्रभावी नियंत्रण प्रत्यर्थी कंपनी का था; ठेकेदार प्रत्यर्थी के परियोजना कार्य के अलावा अन्य कार्यों में मशीनरी का उपयोग करने या उसे स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र नहीं था।उस अवधि के दौरान मशीनरी उनके उपयोग में थी; यह शर्त कि ठेकेदार मशीनरी की अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार था, कंपनी के कब्जे और नियंत्रण के खिलाफ युद्ध करता था। यह निर्दिष्ट किराए पर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए मशीनरी को किराए पर लेने का मामला था।

आरजीएस। वर्तमान मामले में चार्टर पार्टी समझौता अलग है।

40. रिलायंस को ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन लिमिटेड बनाम पर रखा गया है। षण्मुघविलास काजू इंडस्ट्रीज और अन्य। , (1990) 3 एस. सी. सी इस प्रकार हैः

" 47. एक चार्टर पार्टी मृत्यु के रूप में काम करती है या नहीं, यह चार्टर पार्टी की शर्तों पर निर्भर करता है। मुख्य परीक्षा है -

चाहे मालिक मालिक का कर्मचारी हो या

चार्टर। दूसरे शब्दों में, क्या मास्टर [2019] 17 एस. सी. आर. बन जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चार्टरकर्ता का कर्मचारी या मालिक का कर्मचारी बना रहता है

और वह जहाज के मालिक से तीसरे व्यक्ति को देनदारियां देने या तीसरे व्यक्ति को अपनी देनदारियों को जहाज के मालिक को हस्तांतरित करने के लिए नहीं कह सकता है, जब तक कि अनुबंध में ऐसा प्रावधान न हो। एक चार्टर पार्टी का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो, लिखित अनुबंध में व्यक्त किए गए पक्षों के इरादे। चार्टर पार्टी की शर्तों को लडिंग बिल में शामिल किया जा सकता है ताकि वे पार्टियों पर बाध्यकारी हों। यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि जब चार्टर पार्टी की शर्तों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है, तो वे अनुबंध की शर्तें बन जाती हैं।

लदान के बिल में निहित है, और उन्हें प्रेषक, प्रेषक या समर्थनकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है। एक विधेयक का प्रभाव

लदान की स्थिति विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मालवाहक और धारक की स्थिति है। जहां माल से संबंधित माल ढुलाई का बिल है,

उस अनुबंध की शर्तें जिन पर माल ले जाया जाता है, प्रथम दृष्टया लेडिंग बिल से पता लगाया जाना है। हालाँकि, यदि कोई शिपर बिना किसी विरोध के एक विशिष्ट रूप में लदान का बिल प्राप्त करना चाहता है, तो उसे सामान्य रूप से इसके लिए बाध्य होना चाहिए। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि लेडिंग बिल इसकी शर्तों का निर्णायक प्रमाण नहीं है और इसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति आवश्यक रूप से इसकी सभी शर्तों से बाध्य नहीं हैं, जब तक कि वह उन्हें इस आधार पर अस्वीकार नहीं करता है कि, जैसा कि वह नहीं जानता था, और उनके अस्तित्व के बारे में जानने की यथोचित उम्मीद नहीं की जा सकती थी, उनके लिए उनकी सहमति का अनुमान बिना किसी आपत्ति के लेडिंग बिल की उनकी स्वीकृति से नहीं लगाया जा सकता है। जहाँ एक चार्टर पार्टी है, वहाँ माल ढुलाई का बिल प्रथम दृष्टया जहाज के मालिक और एक विज्ञापनदाता के बीच होता है, वह अनुबंध जिस पर माल ले जाया जाता है। ऐसा तब होता है जब समर्थनकर्ता चार्टर पार्टी की शर्तों से अनजान होता है, और शायद तब भी जब वह उनके बारे में जानता हो। जैसा कि जहाज के मालिक और किराएदार के बीच होता है, माल ढुलाई का बिल, कुछ मामलों में, चार्टर पार्टी में निहित अनुबंध को संशोधित करने का प्रभाव डाल सकता है, हालांकि, सामान्य रूप से,

चार्टर पार्टी प्रबल होगा और लदान का बिल केवल रसीद की पावती के रूप में काम करेगा।

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

50. यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि चार्टर पार्टी वैसे भी थी मृत्यु का। पक्षकारों की शर्तें अनुबंध के कानून का गठन करती हैं। समझौते अनुबंध को कानून देते हैं। खंड 4, अनुबंध में एक शर्त होने के कारण पक्षकारों को लेडिंग के बिलों द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिससे उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजी कैरिज

समुद्र द्वारा माल अधिनियम, 1924 या समुद्र द्वारा माल का भारतीय वहन अधिनियम, 1925, उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था। लेख और

निर्दिष्ट नियम भारतीय अधिनियम की अनुसूची में पाए जाते हैं जिसके तहत नियम मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते थे। विवाद का फैसला आंशिक रूप से नगरपालिका कानून के अनुसार और आंशिक रूप से अंग्रेजी कानून के अनुसार नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजी कानून अदालत के समक्ष साबित नहीं हुआ था, के अनुसार कानून "।

ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि कोई चार्टर-पार्टी समझौता मृत्यु के रूप में काम करता है या नहीं, यह चार्टर की शर्तों पर निर्भर करता है। पार्टी। मृत्यु के मामले में, पट्टेदार या तो अपना या दूसरों का सामान ले जाने के लिए जहाज का उपयोग कर सकता है। एक चार्टर-पार्टी को लिखित अनुबंध में व्यक्त किए गए पक्षों के इरादे को यथासंभव प्रभावी बनाने के लिए समझा जाना चाहिए। जब चार्टर पार्टी की शर्तों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है, तो वे अनुबंध की शर्तें बन जाती हैं।

यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि चार्टर पार्टी समझौता मृत्यु के रूप में था। मैक्सिम "पैक्टा डेंट लेगेम कॉन्ट्रैक्टूई" पर भरोसा किया गया है, जिसका अर्थ है कि पक्षों की शर्तें अनुबंध के कानून का गठन करती हैं। केस को सुनवाई के लिए भेज दिया गया। ब्रिटिश भारत (ऊपर) में निर्णय यह निर्धारित करता है कि एक चार्टर-पार्टी को मृत्यु के रूप में काम करना चाहिए या नहीं, यह चार्टर-पार्टी की शर्तों पर निर्भर करता है। शर्तों के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह एक मामला है

' उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण, जो एक मानित बिक्री है। यह निर्णय हमारे इस निष्कर्ष को पुष्ट करता है कि चार्टर-पार्टी का निर्णय शर्तों के आधार पर किया जाना है। 41. भारत संघ में v. गोसलिया शिपिंग (प्रा.) लिमिटेड, (1978) 3 एस. सी. सी. 23 चार्टर-पार्टी का प्रश्न उठा, जिसकी शर्तों ने संकेत दिया कि चार्टर मालिकों को जहाज के उपयोग और किराए के लिए भुगतान करने के लिए सहमत हुए, न कि माल की ढुलाई के कारण। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 172 द्वारा शासित नहीं था, क्योंकि यह धारा सामयिक प्रेषण के संबंध में कर देयता पैदा करती है।

हालाँकि, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस न्यायालय ने चार्टर [2019] 17 एस. सी. आर. पर विचार किया है।

और यह देखा कि सभी चार्टर पक्ष परिवहन के अनुबंध नहीं हैं। ईटाइम्स जहाज स्वयं और उसके काम करने और नौवहन पर नियंत्रण है

कुछ समय के लिए, उन लोगों के लिए जो उसका उपयोग करते हैं। ऐसे मामले में, ऑनट्रैक्ट जहाज को छोड़ने के लिए बहुत अधिक है। इस न्यायालय ने कहा है कि

" 10. अपीलार्थी के वकील द्वारा दिए गए तर्क की कमजोरी इस धारणा में निहित है कि चार्टर-पार्टी को माल जैसी किसी चीज़ के परिवहन के लिए एक समझौता होना चाहिए,

यात्री, पशुधन, या डाक। बी. सी. मित्रा ने अपने लॉ ऑफ कैरिज बाय सी, टैगोर लॉ लेक्चर्स 1972 में कहा है, "चार्टर-पार्टी द्वारा अनुबंध एक अनुबंध है जिसके द्वारा एक पूरा जहाज या उसका कुछ प्रमुख हिस्सा एक व्यापारी को किराए पर दिया जाता है जिसे चार्टर कहा जाता है, एक या अधिक स्थानों पर एक निर्धारित यात्रा पर माल के परिवहन के लिए, या एक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक। पहले मामले में इसे 'समुद्री यात्रा चार्टर पार्टी' और बाद वाले मामले में 'टाइम चार्टर पार्टी' कहा जाता है। एक समय चार्टर, लेखक के अनुसार, वह है जिसमें जहाज का स्वामित्व और कब्जा भी मूल मालिक के पास रहता है और जिसके किराए के पारिश्रमिक की गणना आम तौर पर जहाज के टन भार पर मासिक दर पर की जाती है। जबकि एक यात्रा चार्टर पारिश्रमिक या माल ढुलाई पर एक परिभाषित यात्रा पर निर्दिष्ट माल ले जाने के लिए एक अनुबंध है जिसकी गणना आमतौर पर किए गए माल की मात्रा के अनुसार की जाती है। कार्वर्स कैरिज बाय सी में, ग्यारहवां संस्करण। , 1963 , पी। 263 , यह कहा गया है कि "सभी चार्टर-पक्ष परिवहन के अनुबंध नहीं हैं। कभी-कभी जहाज खुद और

उसके काम करने और नौवहन पर नियंत्रण कुछ समय के लिए उन व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जाता है जो उसका उपयोग करते हैं। ऐसे मामलों में अनुबंध वास्तव में जहाज को किराए पर देने का है, और, चार्टर पार्टी की स्पष्ट शर्तों के अधीन, जहाज के मालिक और जहाज के मालिक की देनदारियाँ। एक-दूसरे के लिए चार्टर का निर्धारण उस कानून द्वारा किया जाना है जो संपत्तियों को किराए पर लेने से संबंधित है, न कि वाहक और शिपर्स की देनदारियों के संदर्भ में। चार्टर-पार्टियों पर स्क्रूटन के अनुसार, सत्रहवीं संस्करण। , 1964 , पी. 4, चार्टर-पार्टियाँ तीन मुख्य श्रेणियों में आती हैंः (i) मृत्यु द्वारा चार्टर, (ii) समय चार्टर (मृत्यु के माध्यम से नहीं), और (ii) यात्रा चार्टर। कभी-कभी श्रेणियों (i) और (ii) दोनों को श्रेणी (iii) से अलग समय चार्टर के रूप में संदर्भित किया जाता है, और उनमें यह आम बात है कि जहाज के मालिक के पारिश्रमिक की गणना उस समय से की जाती है जब चार्टर लेने वाला अपने जहाज की सेवाओं के उपयोग का हकदार होता है। तत्काल मामले में अनुबंध द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी का है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

समय चार्टर की प्रकृति-पार्टी, क्या कोई मृत्यु है

जहाज या अभौतिक नहीं होना। चार्टर-पार्टी का खंड 4

चार्टरकर्ताओं द्वारा "उपयोग और किराए के लिए" भुगतान का प्रावधान है।

पोत पर यू. एस. 4.5 डॉलर प्रति टन की दर से पोत

कुल डेडवेट वहन क्षमता, प्रति कैलेंडर माह,

जहाज की डिलीवरी की तारीख से शुरू करते हुए, "उसकी पुनः डिलीवरी के दिन के घंटे तक जारी रखने के लिए किराए पर लें"। ये

चार्टर पार्टी के खंडों से पता चलता है कि एल्यूमीनियम कंपनी

एक समय चार्टर पार्टी पर अपने मालिकों से जहाज लिया, कि

भ्रामक हो सकता है, लेकिन अगर एक शादी के लिए एक हॉल किराए पर लिया जाता है, तो जगह के मालिक को देय शुल्क उपयोग और किराए के लिए होते हैं। जगह, शादी के कारण नहीं। "

42. तमिल राज्य में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय

& ओआरएस। वी. टीवीएल। एस्सार शिपिंग लिमिटेड और अन्य। , (2012) 47 वीएसटी पागल।) अपीलार्थियों की ओर से संदर्भित किया गया है। मद्रास के उच्चायुक्त ने देखा है कि क्या चार्टर-पार्टी एक है

चार्टर-पार्टी या टाइम चार्टर-पार्टी या चार्टर मृत्यु द्वारा या नहीं,

पार्टियों के इरादे पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि

चार्टर में शब्दों में-पार्टी का उपयोग मानक रूपों में किया जाता हैमुझे चार्टर, जैसे कि 'लेट', 'हायर', 'डिलीवरी' और 'रिडिलीवरी', वहाँ

वास्तविक अर्थ में काम पर रखना। उच्च न्यायालय ने कहाः

निर्धारिती की याचिका को स्वीकार करने में हिचकिचाहट कि 'लेट', 'हायर', 'डिलीवरी' और 'रिडेलीवरी' शब्दों को प्रभावी नियंत्रण देने के शाब्दिक अर्थ में नहीं समझा जाना चाहिए और

चार्टर को अधिकार। दूसरी ओर, वही हैं उस समय के लिए संदर्भित जब चार्टर शुरू होता है और समाप्त होता है। भले ही किराएदारों को इस मार्ग को निर्देशित करने का अधिकार हो कि पोत में इतना समय लगेगा जब तक कि मालिक और चालक दल मालिक के सेवक बने रहते हैं और पक्षकार समझ गए हैं कि ऐसा नहीं है।

चार्टर के पक्ष में जहाज की मृत्यु, हम नहीं पाते हैं मूल्यांकन को बनाए रखने के लिए कोई भी कानूनी आधार।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. हमें निर्धारिती की याचिका को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि न्यायाधिकरण ने अपनी समझ में गंभीर त्रुटि की है

समय चार्टर समझौते के सामने, कब्जे का क्या अर्थ होगा। (1990) 3 एस. सी. सी. 481 ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार।

वी. षण्मुघविलास काजू इंडस्ट्रीज और अन्य। और कुआँ

समय चार्टर पार्टी की अवधारणा पर सिद्धांत निर्धारित किए गए

समझौता, हम मानते हैं कि निर्धारिती और मेसर्स के बीच समझौते का सार है। पूम्पुहार नौवहन निगम सेवाओं में से एक है; इसलिए, धारा के प्रावधानों के तहत उत्तरदायी नहीं है

3 अधिनियम का ए "।

उपरोक्त निर्णय में, पृष्ठ 156 पर (2001) 1 एल. आर. 147 में रिपोर्ट किए गए हिल हार्मनी के मामले पर भरोसा रखा गया है। कूल्हे को कब पकड़ा जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। यह देखा गया कि एक एजेंसी का स्वामित्व मालिक और उसके बीच स्थापित किया जाना है।हार्टर। सवाल चार्टरकर्ता द्वारा देय राशि की वसूली का था। निम्नलिखित चर्चा की गई हैः

" 36. (1978) में रिपोर्ट किए गए निर्णय में, एक समय चार्टर के तहत जहाज पर एक चार्टरकर्ता के अधिकारों की प्रकृति से निपटना। 3 एस. सी. सी. 23 भारत संघ बनाम। गोसलिया शिपिंग (प्रा.) लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. मित्रा द्वारा 'लॉ ऑफ कैरिज बाय सी' से उद्धृत किया कि 'एक टाइम चार्टर वह है जिसमें जहाज का स्वामित्व और कब्जा भी मूल मालिक के पास रहता है, जिसका पारिश्रमिक या किराया आम तौर पर जहाज के टन भार पर मासिक दर पर गणना की जाती है, जबकि एक यात्रा चार्टर एक पारिश्रमिक पर एक परिभाषित यात्रा पर निर्दिष्ट माल ले जाने का अनुबंध है या

माल ढुलाई की गणना आमतौर पर माल की मात्रा के अनुसार की जाती है।

ले जाया गया '। इस प्रकार भारत और अन्य स्थानों में न्यायालयों का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि समय चार्टर के तहत, मालिक प्रदान करते हैं एक सहमत अवधि के लिए अपने जहाज, उनके अधिकारियों और चालक दल के साथ चार्टर के लिए सेवाएं। द हिल हार्मनी के मामले में 2001 (1) एल. आर. 147 @पृष्ठ 156 में रिपोर्ट किए गए निर्णय में, लॉर्ड हॉबहाउस ने कहा, जो मालिक अपने जहाज का समय चार्टर करता है,

किराए के भुगतान के बदले में समय चार्टर को हस्तांतरण, '

पोत की अर्जित करने की क्षमता का दोहन करने का अधिकार। यह बताया गया कि इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश में कुछ मुख्य शब्दों का उपयोग किया जाता है

समय चार्टर के मानक रूप जैसे 'लेट', 'हायर', 'डिलीवरी' और 'पुनर्वितरण', सही मायने में कोई भर्ती नहीं है '(संदर्भः लंदन एक्सप्लोरर 1971 (1) एल. आर. 523)।

कुएँ के अनुरूप द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

99 एल. डब्ल्यू. 517 ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग सर्विसेज (आई) (पी) लिमिटेड में रिपोर्ट किए गए निर्णय में, समय चार्टर पर स्थापित और अच्छी तरह से समझी गई विशेषताएँ। बनाम। मालिक और अन्य, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहाज की गिरफ्तारी के लिए की गई अंतरिम प्रार्थना के संबंध में, चार्टरकर्ता द्वारा अपने एजेंट को देय और देय कथित राशि के लिए, न तो कानूनी स्वामित्व और न ही लाभकारी स्वामित्व या न्यायसंगत स्वामित्व समय चार्टर समझौते के मामले में चार्टरकर्ता के हाथों में था। इस प्रकार इस न्यायालय ने देखा कि

चार्टरकर्ता द्वारा देय और देय राशि, जब तक कि मालिक के बीच एजेंसी का संबंध स्थापित हो गया था।

और चार्टर, जहाज की गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठा। टाइम चार्टर पार्टी जहाज की मृत्यु नहीं बल्कि एक अनुबंध है

सेवाओं को किराए पर लेने के लिए, इस प्रकार दिए जाने के परिणामस्वरूप नहीं माना जाता है

जैसा कि सामान्य रूप से समझा जाता है या शाब्दिक रूप से समझा जाता है कि जहाज के वितरण पर, मालिक ने समय चार्टर की अवधि समाप्त होने पर इसे फिर से शुरू करने के लिए नियंत्रण खो दिया है। अदालतों ने यह भी देखा है कि 'वितरण' और 'पुनर्वितरण' किसी भी पक्ष के दायित्वों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द नहीं हैं।

अनुबंध। जब तक अनुबंध मृत्यु द्वारा चार्टर के रूप में नहीं जाता है, जब मालिक अपने कप्तान और चालक दल के साथ जहाज के माध्यम से कुछ शर्तों पर एक विशिष्ट अवधि के लिए माल को चार्टरकर्ता के निर्देशों तक ले जाने के लिए सेवाएं देता है, तो केवल

पुनः वितरण संभव है ऐसी व्यवस्था करना जो मालिक को अपनी सुविधा के लिए जहाज रखने में सक्षम बनाए। फिर भी, विस्तारित सेवा के दौरान, मास्टर और चालक दल बने रहते हैं। मालिक के सेवक, पोत में उसकी रुचि का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इस प्रकार आम तौर पर एक समय चार्टर पार्टी में समझा जाने वाला शब्द 'डिलीवरी' उस मार्ग को निर्देश देने वाले चार्टर को दर्शाता है जो जहाज यात्रा निर्धारित करने के लिए लेगा। 1991 (1) एल. एल. आर. 100 @107 (द 'प्योनिया') में रिपोर्ट किए गए निर्णय में, 1975 (1) एल. एल. आर. 422 में रिपोर्ट किए गए निर्णय का जिक्र करते हुए, अंग्रेजी न्यायालय ने बताया कि 'डिलीवरी' और 'पुनर्वितरण' के संदर्भ सख्ती से हैं।

गलत है, क्योंकि पोत कभी भी जहाज के मालिक के कब्जे को नहीं छोड़ता है, लेकिन अभिव्यक्तियों का उपयोग पारंपरिक रूप से उस समय का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब चार्टर की अवधि शुरू होती है और समाप्त होती है।

बर्ज तस्ता, (1975) 1 एल. आर. 422 पी पर। 424) . "

43. हम अपना निर्णय 'लेट', 'डिलीवरी' और 'री-डिलीवरी' जैसी शर्तों पर नहीं बल्कि [2019] 17 एस. सी. आर. की अन्य आवश्यक शर्तों पर ले रहे हैं।

तत्काल मामले में किया गया चार्टर पार्टी समझौता जो स्पष्ट रूप से बताता है कि पोत का उपयोग करने के विशेष अधिकार का हस्तांतरण है जो एक मानित बिक्री है और केएसटी अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है। तत्काल मामले में, जहाज का पूरा नियंत्रण विशेष रूप से छह महीने के लिए उपयोग करने के लिए चार्टर को दिया गया था, और डिलीवरी भी की गई थी।

विशेष रूप से छह महीने के लिए चार्टर द्वारा उपयोग से यह पता चलता है कि यह निश्चित रूप से उस पोत का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण का अनुबंध है जिसके साथ हम तत्काल मामले में संबंधित हैं, और यह अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) में निर्दिष्ट एक मानित बिक्री है। उपर्युक्त निर्णय के आधार पर, यह आग्रह किया गया कि सभी चार्टर पार्टी समझौते सेवा के लिए हैं

समझौते। प्रस्तुतिकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में कोई सामान्य/अपरिवर्तनीय नियम/कानून नहीं है। यह शर्तों पर निर्भर करता है और

चार्टर-पार्टी की शर्तें जब इसे केवल सेवा के लिए माना जाना है और जब यह उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है।

44. पुनः अपील न्यायालय का निर्णयः सी एंड लैंड सिक्योरिटीज लिमिटेड और विलियम डिकिंसन एंड कंपनी के बीच एक मध्यस्थता।

लि. एलर्सफोर्ड, (1942) 2 के. बी. 65, पर भरोसा किया गया है जिसमें डीगॉसिंग उपकरण को फिट करने में लगी अवधि के लिए किराए के कुछ उपकरकर्ता का सवाल उठा है। चूँकि जहाज का रोजगार चार्टर-पार्टी के खंड 12 की शर्तों के भीतर नहीं आया था, और न ही यह मालिकों द्वारा अनुबंध का उल्लंघन था। तथ्य यह है कि मालिकों ने उसके माल को लोड करने की प्रतीक्षा करते समय डीगॉसिंग उपकरण लगाया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे वापस नहीं लिया गया। यह देखा गया है कि शुरुआत यह है कि समय चार्टर पार्टी के लिए दोनों पक्षों के संबंधित अधिकार और दायित्व इसकी लिखित शर्तों पर निर्भर होने चाहिए, क्योंकि अनुबंध के विशेष रूप पर कोई विशेष कानून लागू नहीं है। डेथ चार्टर पार्टियों की अवधारणा समय का एक अप्रचलित रूप बनती जा रही है।

चार्टर पार्टी। समय चार्टर पार्टी का आधुनिक रूप वह है जिसके तहत जहाज का मालिक समय चार्टर के साथ सहमत होता है कि एक निश्चित नाम के दौरान

इस अवधि में, जहाज का मालिक अपने सेवकों और चालक दल द्वारा उन सामानों को ले जाने के लिए एक वाहक के रूप में सेवा प्रदान करेगा जो समय चार्टर तक उसके जहाज पर रखे जाते हैं। डिलीवरी, लेटिंग या हायरिंग जैसे शब्द नहीं हैं।

अनुबंध की प्रकृति के निर्धारक, उक्त प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि, मुख्य बात यह है कि यह चार्टर-पार्टी के नियमों और शर्तों पर निर्भर करेगा।

45. रिलायंस को स्कैंडिनेवियाई ट्रेडिंग टैंकर कंपनी में भी रखा गया है। ए. बी. वी. फ्लोटा पेट्रोलेरा इक्वेटोरियाना, (1983) 2 एलएलआर 253, जिसमें निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैंः

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

" एक समय चार्टर, जब तक कि यह मृत्यु द्वारा एक चार्टर नहीं है, जिसके साथ आपके लॉर्डशिप्स का यहां संबंध नहीं है, चार्टर को जहाज में कोई रुचि या अधिकार नहीं है; यह जहाज के मालिक द्वारा जहाज के उपयोग के माध्यम से जहाज के मालिक, मालिक और चालक दल द्वारा किराएदार को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए एक अनुबंध है, जो इस तरह के अनुसार कार्य करता है।

भारित किए जाने वाले माल और चार्टर की शर्तों के अनुसार की जाने वाली यात्राओं के बारे में निर्देश-पक्ष उन्हें देने का हकदार है। सेवाओं के लिए एक अनुबंध होने के नाते यह इस प्रकार एक अनुबंध का बहुत ही प्रोटोटाइप है जिसके विलय से पहले कानून और समता, एक न्यायालय कभी भी विशिष्ट निष्पादन प्रदान नहीं करेगा। क्लार्क बनाम। मूल्य, (1819) 2 विल्स। च. 157 ; लुमले वी. वैगनर, (1852) 1 डी. सी. जी. एम. और जी. 604। वादा की गई सेवाओं को प्रदान करने में विफलता की स्थिति में, जिस पक्ष को उन्हें प्रदान किया जाना था, उसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने में ऐसे उपायों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाएगा जो उसके पास कानून में हो सकता है। लेकिन इस सदन में समान अधिकार की एक अखंड रेखा के रूप में, टैंक एक्सप्रेस (यू. बी. आई. एस. पी.) से लेकर द चिकुमा (1981) 1 लॉयड के प्रतिनिधि तक। 371 ; [1981] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 314 ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि निकासी खंड इस प्रकार प्रदान करता है, तो जहाज का मालिक चार्टर से पोत की सेवाओं को वापस लेने का हकदार है यदि वह चार्टर के प्रावधानों के सटीक अनुपालन में किराए की किश्त का भुगतान करने में विफल रहता है। इसलिए जहाज का मालिक अनुबंध का कोई उल्लंघन नहीं करता है यदि वह ऐसा करता है, और

चार्टर के पास उसके खिलाफ हर्जाने का कोई उपाय नहीं है। ”

पूर्व चर्चा से कोई मदद नहीं मिलती क्योंकि यह मृत्यु द्वारा हार्टर से संबंधित नहीं थी। तत्काल मामले के नियंत्रण में, छूट देने वाले उपयोग को छह महीने के लिए ई चार्टर दिया जाता है।46. रिलायंस को पोर्ट लाइन लिमिटेड बनाम पर भी रखा गया है। बेन लाइन नेर्स लिमिटेड (1958) 1 ए. ई. आर. 787 जिसमें अदालत ने कहा हैः

" सिल्वर लाइन के साथ वादी का चार्टर पार्टी एक सकल समय चार्टर था, न कि मृत्यु से। इसने वादी को पोत में संपत्ति या कब्जे का कोई अधिकार नहीं दिया। यह वह था जिसके द्वारा सिल्वर लाइन ने वादी के साथ सहमति व्यक्त की कि 9 मार्च, 1955 से तीस महीने के लिए, वे अपने सेवकों और चालक दल द्वारा उन सामानों को ले जाने के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे जिन्हें पोत पर रखा गया था। वादी "।

फिर से, निर्णय नियमों और शर्तों पर आधारित है। केवल मालिक द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए चालक दल को नियुक्त करना, नहीं हैचार्टर की प्रकृति के बारे में।

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

47. टोरवाल्ड क्लेवेनेस ए/एस वी। अरनी समुद्री निगम

(द ग्रेगोस), 1993 (2) एल. एल. आर. 335 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" टाइम चार्टर एक अनुबंध है जिसके तहत मालिक सहमत होता है।

चार्टरकर्ता कि एक निश्चित निर्दिष्ट अवधि के दौरान वह अपने सेवकों और चालक दल द्वारा रखे गए माल को ले जाने के लिए सेवाएं प्रदान करेगा।

समय चार्टर द्वारा अपने जहाज पर सवार। चार्टर कर्ता चार्टर पक्ष की शर्तों के भीतर यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वह पोत का उसकी अवधि के लिए क्या उपयोग करेगा, उदाहरण के लिए, स्वयं माल ले जाकर।

या उप-चार्टर द्वारा। पोत मालिक के कब्जे को कभी नहीं छोड़ता है, ताकि वितरण और पुनः वितरण के संदर्भ कड़ाई से सटीक न हों, लेकिन उन अभिव्यक्तियों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है

उस समय की पहचान करें जब चार्टर शुरू और समाप्त होता है।

केवल नौकरों और चालक दल द्वारा माल ले जाने के लिए सेवा प्रदान करने से यह सेवा अनुबंध नहीं बन जाएगा। यह प्रत्येक अनुबंध की प्रकृति और सहमत नियमों और शर्तों पर निर्भर करता है। किस बात का है? हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता यह है कि क्या उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है।

48. रिलायंस को स्किबसक्तीसेलस्कपेट पर भी रखा गया है।

स्रेफॉन, स्किब्सक्सजेसेलस्कपेट बर्गेहस और सिग। बर्जेसन डी. वाई. एंड कंपनी बनाम कावासाकी किसेन कैशा लिमिटेड (द "बर्ज तस्ता"), (1975) 1 एल. एल. आर. 422 जिसमें समय चार्टर के रूप में जो निम्नलिखित मृत्यु नहीं है।

टिप्पणियाँ की गई हैं:

" एक समय चार्टर-पार्टी के तहत, मृत्यु के माध्यम से एक चार्टर नहीं होने के कारण, जहाज का मालिक जहाज को उपलब्ध कराने का कार्य करता है।

भार वहन और भारित करने के उद्देश्यों के लिए चार्टर

एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर किराएदार द्वारा आवश्यक यात्राएँ एक निर्दिष्ट अवधि। जहाज के मालिक का पारिश्रमिक जिसे "टाइम चार्टर्ड फ्रेट" या "किराया" के रूप में जाना जाता है, समय की एक इकाई के लिए एक निश्चित दर पर होता है, इस बात की परवाह किए बिना कि जहाज का उपयोग कैसे किया जाता है। जोखिम

देरी इस प्रकार चार्टर पर आती है। जहाज का मालिक जहाज के रखरखाव और चालक दल के वेतन का भुगतान करने की लागत को पूरा करता है, लेकिन ईंधन और बंदरगाह शुल्क की लागत किराएदार पर आती है।

समय चार्टर द्वारा कवर की गई अवधि के अंत में जहाज को जहाज के मालिक को "पुनः वितरित" किया जाता है। यह एक भ्रामक बात है

पोत के लिए शब्द कभी भी जहाज के मालिक के कब्जे को नहीं छोड़ता है। इसका मतलब यह है कि टाइम चार्टर तब बिल्कुल द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में समाप्त होता है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

जिस तरह से एक यात्रा चार्टर-पार्टी समाप्त होती है जब अंतिम माल होता है

छुट्टी दे दी जाती है "। 49. हुंडई मर्चेंट मरीन कंपनी लिमिटेड बनाम। गेसूरी

टेरिंग कं. लिमिटेड (द "प्योनिया"), (1991) 1 एलएलआर 100, निम्नलिखित

वैशनों पर भरोसा किया गया हैः

" विवाद की तत्काल कानूनी पृष्ठभूमि अब नहीं है

विवादास्पद। एक समय चार्टर-इस तरह का पक्ष एक अनुबंध है

जिसे जहाज का मालिक समय पट्टेदार के साथ सहमत होता है कि एक निश्चित नामित अवधि के दौरान वह अपने सेवकों और चालक दल द्वारा उन सामानों को ले जाने के लिए सेवाएं प्रदान करेगा जो उसके द्वारा अपने जहाज पर रखे जाते हैं।

समय चार्टर (सी एंड लैंड सिक्योरिटीज लिमिटेड बनाम। विलियम डिकिंसन एंड कंपनी। लिमिटेड, (1942) 72 आई. आई. एल. प्रतिनिधि। 159 पी पर। 162 , कोल। 2 ; [1942] 2 के. बी. 65 पी. 69) . यह समय चार्टर के लिए है

(द बर्ज तस्ता) "। नियम और शर्तों को देखते हुए इस निर्णय का कोई समर्थन नहीं है।

ई चार्टर-विचाराधीन पक्ष और सामान्य चर्चा। अन्यथा, यह इस संबंध में कारण का समर्थन नहीं करता है कि क्या कोई अधिकार है

जहाज का उपयोग करें।

50. चार्टर पार्टियों और बिल ऑफ लेडिंग पर स्क्रूटन में, 20 वीं

चार्टर पक्षों से संबंधित धारा IV, निम्नलिखित प्रासंगिक है

एस. एस. एन.:

श्रेणियों को इस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है कि क्या या नहीं वे जहाज की मृत्यु या पट्टे के बराबर हैं।

मृत्यु द्वारा एक चार्टर जहाज के पट्टे के रूप में काम करता है, जिसके लिए मास्टर और चालक दल की सेवाएं हो सकती हैं या नहीं भी।

अतिरंजित। किराएदार उस समय के लिए मालिक बन जाता है

पोत; मालिक और चालक दल सभी इरादों के लिए अपने नौकर बन जाते हैं, और उनके माध्यम से जहाज का अधिकार [2019] 17 एस. सी. आर.

एक चार्टर के तहत न कि मृत्यु से, दूसरी ओर, जहाज का मालिक

अपने स्वामी द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए चार्टर के साथ सहमत होता है और

चार्टरकर्ता का अपने सामान को लोड करने का अस्थायी अधिकार और पोत में स्वामित्व और अधिकार भी दिया गया

जहाज का मालिक के माध्यम से मूल मालिक में रहता है और

दल, जो अभी भी उनके सेवक बने हुए हैं।

चार्टर मृत्यु के बराबर है या नहीं, इसे चालू होना चाहिए।

चार्टर की विशेष शर्तें "। सवाल निर्भर करता है, कहाँ

अन्य चीजें इस रास्ते में नहीं हैं: क्या मालिक है

चार्टर द्वारा, जहां एक चार्टर है, जहाज के पूरे कब्जे और नियंत्रण के साथ विभाजित है, और इस हद तक, कि उसके पास है

पट्टेदार को उससे स्वतंत्र एक शक्ति और अधिकार दिया जाता है, और

उसे वह करने के लिए संदर्भित किए बिना जो वह करना चाहता है कप्तान, चालक दल, और प्रबंधन और रोजगार

सही अभिव्यक्ति यह है कि यह पूरे के साथ एक विभाजन है जहाज का अधिकार और नियंत्रण "।

स्वयं में ऐसे चार्टरों को चार्टर के रूप में चिह्नित नहीं करते हैं मृत्यु "।

51. ऊपर वर्णित चर्चा से यह स्पष्ट है कि

मास्टर और चालक दल के सदस्यों को इसमें जोड़ा जा सकता है या नहीं भी।

मृत्यु का। मृत्यु के लिए चार्टर राशि होगी या नहीं और चार्टर की विशेष शर्तों पर।

52. हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण। , खण्ड. 43 , इसे भी लाल कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित चर्चा की गई है:

" 402. "चार्टर पार्टी द्वारा अनुबंध" का अर्थ। ए द्वारा एक अनुबंध

चार्टर पार्टी एक अनुबंध है जिसके द्वारा एक पूरा जहाज या कुछ

उसका प्रमुख हिस्सा एक व्यापारी को किराए पर दिया जाता है, जिसे "चार्टर" कहा जाता है।

एक निर्धारित यात्रा पर माल के परिवहन के लिए या

अधिक स्थान, या एक निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति तक।

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी में। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

पहले मामले में, इसे एक, यात्रा चार्टर पार्टी कहा जाता है, और दूसरे में एक, समय चार्टर पार्टी। इस तरह का अनुबंध स्वयं जहाज की मृत्यु के रूप में काम कर सकता है, जिसमें मालिक और चालक दल की सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं या नहीं, या यह किराएदार को प्रदान कर सकता है।

अपने माल को किसी विशेष जहाज द्वारा पहुँचाने के अधिकार के अलावा और कुछ नहीं, और इसके सहायक के रूप में, इसका उपयोग करने के लिए

जहाज और मास्टर और चालक दल की सेवाएं।

चार्टर ", जहाँ पतवार चार्टर पार्टी की विषय वस्तु है, और (2) मास्टर और चालक दल के साथ चार्टर, जिसके तहत जहाज व्यापारिक रोमांच के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त राज्य में चार्टर करने वाले को जाता है। दोनों ही मामलों में किराएदार कुछ समय के लिए बन जाता है। जहाज का मालिक; मालिक और चालक दल उसके कर्मचारी हैं, या सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए बन जाते हैं, और उनके माध्यम से, जहाज का अधिकार उसके पास होता है। दूसरी ओर, मालिक ने जहाज पर या उसके ऊपर सभी नियंत्रण से खुद को अलग कर लिया है।

404. चार्टर पार्टी जो मृत्यु नहीं है। यद्यपि एक चार्टर पार्टी जो एक प्रदर्शन के रूप में कार्य नहीं करती है, चार्टरकर्ता को प्रदान करती है। अपने माल को लोड करने और पहुँचाने का अस्थायी अधिकार

जहाज, स्वामित्व मूल मालिक के पास रहता है, और मालिक और चालक दल के माध्यम से, जो उसके कर्मचारी बने रहते हैं, जहाज का अधिकार भी उसके पास रहता है। इसलिए,

चार्टर पार्टी का अस्तित्व आवश्यक रूप से दायित्व के मालिक को तीसरे व्यक्ति को नहीं देता है जिसका माल जहाज पर पहुँचाया गया हो सकता है, और न ही यह उसे उसके अधिकारों से वंचित करता है क्योंकि

मालिक।

405. जाँच करें कि क्या चार्टर पार्टी मृत्यु के रूप में काम करती है। क्या ए

चार्टर पार्टी एक मृत्यु के रूप में काम करती है या नहीं, यह एक सवाल है निर्माण, [2019] 17 एस. सी. आर. की भाषा के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

विशेष चार्टर पार्टी। आवेदन करने के लिए मुख्य परीक्षा यह है कि मालिक मालिक का कर्मचारी है या मालिक का।

चार्टर। यहां तक कि जहां चार्टर पार्टी प्रदान करता है

चार्टर द्वारा मास्टर का नामांकन, उसे माना जाना चाहिए

मालिक के कर्मचारी के रूप में यदि चार्टर पार्टी का प्रभाव यह है कि उसे मालिक द्वारा भुगतान या बर्खास्त किया जाना है और वह नौपरिवहन के रूप में मालिक के आदेशों के अधीन होना है। हालाँकि, यदि चार्टर पार्टी को अन्यथा मृत्यु माना जाता है, तो यह है

इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक निश्चित रूप से अधिकार सुरक्षित रखता है।

गुरु को हटाने और उसके स्थान पर किसी अन्य को नियुक्त करने या मुख्य अभियंता की नियुक्ति करने की परिस्थितियाँ।

मृत्यु द्वारा एक चार्टर-पार्टी में, यह मास्टर के बिना चार्टर हो सकता है

या चालक दल या बेयरबोट चार्टर, और दूसरा मास्टर और चालक दल के साथ एक चार्टर हो सकता है जिसके तहत जहाज चार्टर के उद्देश्यों के लिए गुजरता है

व्यापारिक साहसिक कार्य। जैसा कि इस मामले में माना गया है, पूर्ण नियंत्रण दिया गया है, और उपयोग विशेष रूप से चार्टर करने वाले के लिए है। उसे जगह और बोझ का उपयोग करने का अधिकार है। हैल्सबरी की चर्चा से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक चार्टर-पार्टी को केवल सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक सेवा अनुबंध होने की आवश्यकता नहीं है।

ऊपर, निर्धारक नहीं है, लेकिन वास्तविक सार को प्रासंगिक के अनुसार देखा जाना है पक्षकारों के बीच सहमति के अनुसार शर्तें।

54. जब हम लागू कानून के संदर्भ में विचाराधीन चार्टर-पार्टी पर विचार करते हैं, विशेष रूप से के संवैधानिक प्रावधानों को देखते हुए

अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) में हम पाते हैं कि मूर्त वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण होता है, जो संविधान के अनुसार मानित बिक्री का निर्धारक है।

भारत सरकार और उक्त आशय को दर्शाने वाली धारा 5 सी के प्रावधान। हमारा मानना है कि उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण होता है

विशेष रूप से छह महीने के लिए चार्टर को दिया गया है, और जहाज को दिया गया है अनन्य नियंत्रण में रखा गया। चार्टर लेने वाला बी. एस. एन. एल. (ऊपर) में इस अदालत द्वारा निर्धारित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करता है।

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

55. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहन परासरन ने न्यू मैंगलोर पोर्ट हार्बर क्राफ्ट रूल्स, 1976 का भी उल्लेख किया है। उसके पास है

हार्बर क्राफ्ट के लाइसेंस से संबंधित नियम 4 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

कि लाइसेंस प्राप्त बंदरगाह शिल्प के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, लाइसेंस छह दिनों की समाप्ति पर वैध नहीं रहेगा। चालक दल में परिवर्तन या लाइसेंस प्राप्त बंदरगाह शिल्प की वहन क्षमता की सूचना उप संरक्षक को दी जानी चाहिए। केबिन की क्षमता में किसी भी बदलाव के मामले में,

लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया निवेदन यह है कि हार्बर क्राफ्ट नियमों की योजना के अनुसार; साथ ही, मालिक पोत का नियंत्रण रखता है। हमारी राय में, निवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल लाइसेंस, इसके उत्पादन/स्वामित्व परिवर्तन आदि के रूप में ऊपर उल्लिखित प्रावधानों द्वारा, यह नहीं कहा जा सकता है कि मालिक ने पोत का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित नहीं किया है। इस तरह की मानित बिक्री में स्वामित्व मालिक द्वारा बनाए रखा जाता है। वह संपत्ति के उपयोग के अधिकार को हस्तांतरित करके मालिक बनना बंद नहीं करता है। केवल इस तथ्य से कि कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस प्राप्त किया जाना है और टिंडल द्वारा मांग किए जाने पर प्रस्तुत किया जाना है और उप संरक्षक को असमर्थता की सूचना दी जानी है, प्रावधान चार्टर पार्टी समझौते की व्याख्या करने और इस सवाल को तय करने में कोई मदद नहीं करते हैं कि क्या पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण है।

इन रेः समझौते की स्थिति

56. विचार के लिए अगला सवाल यह है कि क्या कर्नाटक राज्य के पास अधिनियम की धारा 5 सी के तहत सटीक बिक्री-कर लगाने की शक्ति है।

उस पोत का उपयोग क्षेत्रीय जल में किया जाना था, यह राज्य सरकार के लिए स्थिति के आधार पर बिक्री-कर लगाने और प्राप्त करने के लिए खुला था समझौते का।

57. सत्ता के भीतर लगाए गए कर की प्राप्ति के लिए

अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) के तहत, यह सामग्री नहीं है जहां माल पारित किया जाता है, लेकिन समझौते की स्थिति कर की प्राप्ति के लिए निर्धारक है। इस संबंध में 20 वीं शताब्दी (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय प्रासंगिक है, जिसमें इस न्यायालय ने [2019] 17 एस. सी. आर. पर चर्चा की है।

अनुच्छेद के अनुसार बनाई गई कानूनी कल्पना द्वारा मानित बिक्री का प्रभाव

29 ए) (ई से एफ) और देखाः

" 21. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (ए) से (एफ) के तहत विचार किए गए लेनदेन "बिक्री" के अर्थ के भीतर वास्तविक बिक्री नहीं हैं, बल्कि उनमें बनाई गई कानूनी कल्पना द्वारा बिक्री मानी जाती है। बिक्री का स्थान या तो उपयुक्त विधायिका द्वारा या न्यायाधीश द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही तय किया जा सकता है, और बिक्री के स्थान को निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित सिद्धांत नहीं हैं। इस सवाल पर परस्पर विरोधी विचार हैं। इनमें से एक

बिक्री की स्थिति प्रदान करने वाले सिद्धांतों में उत्कीर्ण किया गया था

अनुच्छेद 286 के खंड (1) (ए) का स्पष्टीकरण, जैसा कि यह संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम से पहले मौजूद था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि -

बिक्री का स्थान वह होगा जहाँ माल की डिलीवरी की जाती है। उपभोग। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि बिक्री का स्थान होगा

वह स्थान जहाँ अनुबंध समाप्त होता है। तीसरा दृष्टिकोण यह है कि जिस स्थान पर माल बेचा या वितरित किया जाता है, वह स्थान होगा बिक्री से। चौथा दृष्टिकोण यह है कि जहां आवश्यक सामग्री, जो बिक्री को पूरा करती हैं, बहुमत में पाई जाती हैं, वह बिक्री का स्थान होगा। स्थिति का पता लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

बिक्री जहां इसे कानूनी कल्पना द्वारा प्रदान किया गया है उपयुक्त विधायिका। वर्तमान मामले में, हम यह नहीं पाते हैं कि संसद ने कोई काल्पनिक रचना करके बिक्री का स्थान तय किया है

माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के मामले में। इसलिए हम

24. उपरोक्त निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां बिक्री की स्थिति निर्धारित नहीं की गई है या उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाई गई किसी भी कानूनी कल्पना द्वारा कवर नहीं की गई है, तो बिक्री का स्थान होगा वह स्थान हो जहाँ माल की संपत्ति गुजरती है। द.

संविधान पीठ ने माना कि यह संपत्ति का पारित होना था

राज्य के भीतर जिसे यह निर्धारित करने के उद्देश्य से लगाया जाना था कि क्या बिक्री "अंदर" थी या नहीं।

" राज्य के बाहर।

25. इसके बाद उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया कि यह उन वस्तुओं का स्थान है जहां उन्हें उपयोग में लाया जाता है, जो बिक्री के स्थान को प्रस्तुत करेगा। उनके अनुसार, जब तक माल की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक माल के उपयोग के अधिकार का पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा। हमने इस देश में बिक्री कर के विधायी इतिहास का पता केवल ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी से लगाया है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

जहाँ उसका माल संग्रहीत किया जाता है और यह कि खरीदार की दिल्ली राज्य के कनॉट सर्कस में भी एक खुदरा दुकान है। खरीदार और विक्रेता कुछ वस्तुओं की बिक्री के लिए गुड़गांव में एक अनुबंध करते हैं और अनुबंध की एक अवधि यह है कि बेचा जाने वाला सामान वास्तव में विक्रेता के गोदाम से दिल्ली राज्य में खरीदार की खुदरा दुकान पर दिल्ली राज्य में उपभोग के लिए वितरित किया जाएगा। पंजाब राज्य के गुड़गांव में किए गए इस अनुबंध के अनुसार, खरीदार गुड़गांव में माल की पूरी कीमत का भुगतान करता है और विक्रेता गुड़गांव में भी खरीदार को विक्रेता को संबोधित एक डिलीवरी ऑर्डर सौंपता है। गोदाम-खरीदार की खुदरा दुकान तक सामान पहुँचाने के लिए दिल्ली में रखवाला।

इस बिक्री के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में, विक्रेता का गोदाम-रक्षक, इस वितरण आदेश की प्रस्तुति पर, वास्तव में दिल्ली राज्य में उपभोग के लिए कनॉट सर्कस में खरीदार की खुदरा दुकान में सामान पहुंचाता है। कानून के एक दृष्टिकोण से, इस तरह की बिक्री का 'स्थान' गुड़गांव होगा। हमें यह तय करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा है, क्योंकि उस प्रकार का मामला हमारे सामने नहीं है और विचार करने के लिए अन्य विचार हो सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से एक संभावित दृष्टिकोण है।

विवादास्पद हो सकता है। लेकिन इन दो अभिधारणाओं को देखते हुए, लेन-देन स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण के भीतर आएगा, और फिर भी यह

खंड (2) के भीतर नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी राज्य और विक्रेता दोनों की सीमा के पार माल की कोई आवाजाही नहीं है और [2019] 17 एस. सी. आर.

खरीदार एक ही स्थान पर हैं। निश्चित रूप से, स्पष्टीकरण, व्यावहारिक रूप से, ऐसे मामलों को नियंत्रित करेगा, भले ही संसद ने खंड (2) के तहत प्रतिबंध हटा लिया हो।

यदि इन अभिधारणाओं को स्वीकार कर लिया जाता है तो स्पष्टीकरण के साथ पठित खंड (1) (ए) के आधार पर केवल दिल्ली राज्य ही हकदार होगा।

ऐसी बिक्री या खरीद पर कर लगाने के लिए और पंजाब राज्य काल्पनिक के कारण ऐसा करने से वंचित रहेगा। ' स्पष्टीकरण
द्वारा इस तरह की बिक्री या खरीद के लिए निर्धारित स्थान, हालांकि अनुबंध किया गया था, कीमत का भुगतान किया गया था, और डिलीवरी ऑर्डर सौंपकर माल की प्रतीकात्मक या रचनात्मक डिलीवरी पंजाब राज्य के गुड़गांव में हुई थी।

इसलिए हम पाते हैं कि राज्य के भीतर माल के स्थान या वितरण को माल की बिक्री पर कर लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

सामान्य कानून के तहत, केवल इसलिए कि माल स्थित है या जिसका वितरण राज्य के भीतर उपयोग के लिए किया गया है, कर लगाने के लिए मानित बिक्री का स्थान नहीं होगा यदि उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण दूसरे राज्य में हुआ। इसलिए, यदि की ओर से विवाद

उत्तरदाताओं का कहना है कि जब तक माल वितरित नहीं किया जाता है, तब तक माल के उपयोग के अधिकार का कोई पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा, तब उत्तरदाताओं को यह दिखाने की आवश्यकता होती है कि माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का अनुबंध भी उक्त राज्य में दर्ज किया गया है जिसमें माल स्थित है या उपयोग के लिए वितरित किया गया है। राज्य इस आधार पर कर नहीं लगा सकता है कि घटनाओं की श्रृंखला में से एक घटना राज्य के भीतर हुई है। माल की डिलीवरी उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के तत्वों में से एक हो सकती है, लेकिन यही शर्त पूर्ववर्ती नहीं होगी

माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का अनुबंध। जहाँ एक पक्ष ने एक औपचारिक अनुबंध किया है, और माल वितरण के लिए उपलब्ध है

इस बात की परवाह किए बिना कि उन्होंने इस तरह की बिक्री का स्थान कहां पाया है वह जगह होगी जहाँ माल की संपत्ति गुजरती है, अर्थात्, जहाँ अनुबंध किया जाता है।

इस न्यायालय ने कहा है कि माल की डिलीवरी का स्थान

इसे माल की बिक्री पर कर लगाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। जहां एक पक्ष ने एक औपचारिक अनुबंध किया है, और माल डिलीवरी के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे किसी भी स्थान पर स्थित हों, बिक्री का स्थान जहां संपत्ति या माल गुजरता है, उस स्थान पर होगा

वह स्थान जहाँ अनुबंध किया गया है।

द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

58. इस न्यायालय ने 20 वीं शताब्दी (ऊपर) में अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) के लिए विचार किया है, कर योग्य घटना माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है, भले ही माल उपयोग के लिए कब या वितरित किया गया हो। मानित बिक्री उस स्थान पर होती है जहाँ माल के उपयोग का अधिकार हस्तांतरित किया जाता है। यह कोई प्रासंगिकता नहीं है जहां माल को उपयोग करने के लिए हस्तांतरण के अधिकार के तहत वितरित किया जाता है। वर्तमान मामले में, समझौते पर मंगलौर में हस्ताक्षर किए गए हैं, और पोत का उपयोग क्षेत्रीय जल में किया जाता है, जो कंपनी के प्रस्तुतिकरण के अनुसार, पूरी तरह से भारत संघ के क्षेत्र में है। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मानित बिक्री का स्थान मैंगलोर में है। इस प्रकार, अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने की देयता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 20 वीं शताब्दी (ऊपर) में इस न्यायालय ने टिप्पणी की हैः

अनुच्छेद 366 (29-ए) (डी) राज्य विधानमंडल को वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर बिक्री कर लगाने वाला कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के विभिन्न उपखंड अनुमति देते हैं।
इस प्रकार कर का अधिरोपणः उपखंड (क) माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर; उपखंड (ख) माल में संपत्ति के हस्तांतरण पर; उपखंड (ग) माल की डिलीवरी पर; उपखंड (घ) माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर; उपखंड (ङ) माल की आपूर्ति पर; और उपखंड (च) सेवाओं की आपूर्ति पर। इसलिए खंड (29 ए) के उत्तरार्ध में "और ऐसा हस्तांतरण, वितरण या आपूर्ति" शब्द, विभिन्न उपखंडों में उपयोग किए गए हस्तांतरण, वितरण और आपूर्ति, जैसा लागू हो, शब्दों को संदर्भित करते हैं। इस प्रकार, उपखंड (ए) और (बी) के मामलों में माल का हस्तांतरण एक मानित बिक्री होगी, उपखंड (सी) के मामले में माल की डिलीवरी एक मानित बिक्री होगी, उपखंड (ई) और (एफ) के मामलों में माल और सेवाओं की आपूर्ति को क्रमशः बिक्री माना जाएगा और किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण एक मानित बिक्री होगी।

उपखंड (घ) का मामला। खंड (29-ए) को, हमारे विचार में, इस आशय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है कि उपखंड (डी) के तहत कर माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर नहीं बल्कि उपयोग के लिए माल की डिलीवरी पर लगाया जाना है। न ही, हमारे विचार में, खंड (29-ए) के उपखंड (डी) में वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण को पामर, 1979 एडन द्वारा जमानत में निर्दिष्ट तीसरे प्रकार के जमानत के बराबर माना जा सकता है। , पी। 88. वहाँ संदर्भित तीसरा प्रकार तब होता है जब माल को उसके द्वारा किराए पर लेने के लिए बेली के साथ छोड़ दिया जाता है, [2019] 17 एस. सी. आर.

जिसका अर्थ है बेली में माल का हस्तांतरण। उपखंड (घ) के मामले में, माल को हस्तांतरणकर्ता के पास छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही आवश्यक है कि माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण हो। इसलिए, हमारे विचार में, खंड (29-ए) के उपखंड (डी) के एक सादे निर्माण पर, कर योग्य घटना माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है, चाहे वह कब भी हो।

या क्या माल उपयोग के लिए वितरित किया जाता है। आवश्यकता यह है कि माल अस्तित्व में होना चाहिए ताकि उनका उपयोग किया जा सके। और इसके संबंध में आगे के अनुबंध की भी आवश्यकता है

निष्पादित किया। यह देखते हुए कि मानित बिक्री का स्थान वह स्थान है जहाँ माल का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित किया जाता है। जहाँ माल का उपयोग करने का अधिकार हस्तांतरित किया जाता है, वहाँ मानित बिक्री के स्थान के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसके अलावा मानी गई बिक्री के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है जहां माल को उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के अनुसार उपयोग के लिए वितरित किया जाता है, हालांकि यह हो सकता है कि

माल के उपयोग के अधिकार के मौखिक या निहित हस्तांतरण के मामले में, यह माल की डिलीवरी से प्रभावित होता है।

वस्तुओं के उपयोग पर नहीं बल्कि वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर। वस्तुओं के उपयोग का अधिकार केवल अधिकार के हस्तांतरण के कारण प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, उपयोग का अधिकार केवल इस पर उत्पन्न होता है इस तरह के अधिकार का हस्तांतरण, और जब तक कि अधिकार का हस्तांतरण नहीं होता है, उपयोग करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए, यह स्थानांतरण है,

जो किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के लिए अनिवार्य है। यदि माल उपलब्ध है, तो उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण तब होता है जब उसके संबंध में अनुबंध निष्पादित किया जाता है। जैसे ही अनुबंध निष्पादित किया जाता है, अधिकार पट्टेदार में निहित हो जाता है। इस प्रकार, इस तरह के कर की कर योग्य घटना का कारण वह हस्तांतरण होगा जो कानूनी रूप से वस्तुओं के उपयोग के अधिकार को हस्तांतरित करता है। दूसरे शब्दों में, यदि माल इस तथ्य की परवाह किए बिना उपलब्ध है कि माल कहाँ स्थित है, और पक्षों के बीच एक लिखित अनुबंध किया जाता है, तो ऐसी मानित बिक्री पर कर योग्य घटना माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण के लिए अनुबंध का निष्पादन होगी।

लेकिन वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के मौखिक या निहित हस्तांतरण के मामले में,

यह माल की डिलीवरी से प्रभावित हो सकता है।

28. प्रतिवादियों की ओर से इस न्यायालय का कोई अधिकार नहीं दिखाया गया है कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के अधिकार का कोई पूर्ण हस्तांतरण नहीं होगा।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

जब तक माल की डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक माल का उपयोग करना। इस प्रकार, माल की डिलीवरी किसी भी माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर लगाने का आधार नहीं हो सकती है। इसलिए हमारा विचार है कि जहां माल मौजूद है, वहां माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर योग्य घटना तब होती है जब पट्टेदार और पट्टेदार के बीच एक अनुबंध निष्पादित किया जाता है और ऐसी मानित बिक्री की बिक्री का स्थान वह स्थान होगा जहां उसके संबंध में अनुबंध निष्पादित किया जाता है। इस प्रकार, जहां माल का हस्तांतरण किया जाना है उपलब्ध हैं, और पक्षों के बीच एक लिखित अनुबंध निष्पादित किया जाता है, यह उस समय माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर एक कर योग्य घटना की स्थिति होगी, और इस तरह की बिक्री की स्थिति

लेन-देन वह स्थान होगा जहाँ अनुबंध निष्पादित किया जाता है। 40. धारा 2 (टी) के स्पष्टीकरण 3 (डी) के अवलोकन से पता चलता है कि

किसी भी माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण कर्नाटक राज्य में हुआ माना जाएगा यदि माल राज्य के भीतर उपयोग के लिए है, भले ही हस्तांतरण का अनुबंध उस स्थान पर हो। माल के उपयोग के अधिकार का निष्पादन किया जाता है। धारा 2 (टी) के उक्त स्पष्टीकरण 3 (डी) में कर्नाटक राज्य के बाहर की बिक्री और बिक्री को शामिल करके "बिक्री" की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है।

भारत में वस्तुओं का अवसर पर आयात, केवल इस आधार पर कि उपयोग में लाई गई वस्तुएं कर्नाटक राज्य के भीतर स्थित हैं।

चाहे वह स्थान कोई भी हो जहाँ अनुबंध या हस्तांतरण किया गया हो।

जगह। यह स्पष्टीकरण विधायी शक्ति से अधिक है।

सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54। एक और महत्वपूर्ण बात

ध्यान देने योग्य पहलू यह है कि धारा 5 (3) के प्रावधान, जो एकल-बिंदु कराधान का प्रावधान करता है, को इसके प्रावधान में हटा दिया गया है।

धारा 5-सी के लिए आवेदन। इसलिए, अधिनियम की धारा 2 (टी) के स्पष्टीकरण 3 (डी) को विधायी शक्ति से अधिक माना जाना चाहिए।

तर्क के बाद संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया

निर्देश दें कि अधिनियम की धारा 2 (टी) के लिए स्पष्टीकरण 3 (डी) को इस प्रभाव के लिए पढ़ा जाएगा कि यह लागू नहीं होगा किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का लेनदेन यदि ऐसी मानित बिक्री (i) एक बाहरी बिक्री है; (ii) भारत के क्षेत्र से बाहर माल के आयात या निर्यात के दौरान बिक्री;

और (iii) अंतर-राज्यीय बिक्री। "[2019] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

59. इस न्यायालय ने इस प्रस्ताव पर भी विचार किया कि क्या राज्य एक मानित कल्पना बना सकता है कि यदि माल के भीतर उपयोग के लिए है

राज्य चाहे वह कोई भी स्थान हो जहाँ माल के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का अनुबंध किया जाता है। वर्तमान मामले में यह सवाल शामिल नहीं है। समझौते की स्थिति प्रासंगिक है, जो स्वीकार्य है

कर्नाटक के क्षेत्र के भीतर। मानित बिक्री का स्थान मंगलौर में है, और 20 वीं शताब्दी (ऊपर) में इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय हम पर बाध्यकारी है और इसके विपरीत प्रस्तुत करने को प्रभावी रूप से खारिज करता है।

60. अग्रवाल ब्रदर्स बनाम। हरियाणा राज्य और अन्न। , (1999) 9 एस. सी. सी. 182, यह निवेदन उठाया गया था कि एक मानित बिक्री करने के लिए माल का कानूनी हस्तांतरण होना चाहिए या यह कि लेनदेन पट्टे की तरह होना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसने विचार के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण को अलग किया है। निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैंः

" 3. निर्धारिती के लिए विद्वान वकील का तर्क इस प्रकार हैः संविधान की अनुसूची VII के भाग II की प्रविष्टि 54 राज्य को "समाचार पत्रों के अलावा अन्य वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कर" लगाने में सक्षम बनाती है। अनुच्छेद 366 संविधान के उद्देश्यों के लिए परिभाषाएँ निर्धारित करता है। खंड (29-ए) से तात्पर्य "कर" से है।

माल की बिक्री या खरीद पर ", और इसमें शामिल हैं

" (घ) नकद के लिए किसी भी उद्देश्य (चाहे वह किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) के लिए किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर कर, आस्थगित

भुगतान या अन्य मूल्यवान विचार "।

विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में, अनुसूची VII के भाग II की प्रविष्टि 54 को ध्यान में रखते हुए, उप द्वारा विचार किया गया स्थानांतरण अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) का खंड (डी) माल में अधिकार का कानूनी हस्तांतरण है। यह माल का हस्तांतरण होना चाहिए। यह स्थायी होना चाहिए। यह पट्टे जैसा कुछ होना चाहिए। देने की बात

किराया पर माल ऐसा हस्तांतरण नहीं है और इसलिए, अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के उपखंड (डी) के दायरे से बाहर आता है। विद्वान वकील ने बिल्डर्स एसोसिएशन में इस न्यायालय के फैसले के पैरा 40 का उल्लेख किया है। भारत का वी। भारत संघ, (1989) 2 एस. सी. सी. 645 जो कहता हैः (एस. सी. सी पी. 675)

" जैसा कि आज संविधान मौजूद है, राज्यों को लागू करने की शक्ति है 'डीम्ड' द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी सहित वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

अनुच्छेद 366 के खंड (29-ए) के तहत वस्तुओं की बिक्री और खरीद केवल प्रविष्टि 54 में पाई जानी चाहिए, न कि इसके बाहर।

4. उक्त अधिनियम की धारा 2 (जे) (iv) और 2 (1) (iv) में उपयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 366 (29-ए) (डी), खरीद से संबंधित धारा 2 (जे) और बिक्री से संबंधित धारा 2 (1) में उपयोग की जाने वाली भाषा है। द.

इसलिए, हमारे सामने तर्क इस पर तर्क नहीं है

उक्त अधिनियम के इन प्रावधानों की संवैधानिकता लेकिन उनकी

तथ्यों की व्याख्या और उनका अनुप्रयोग

वर्तमान मामला।

नकद या विलंबित भुगतान या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के लिए विचार करें और इसमें शामिल हैं

" किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण

(चाहे वह एक निर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) नकद के लिए, स्थगित

भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल।

विचारार्थ वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का ऐसा हस्तांतरण है -

" माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण, न कि हस्तांतरण का सामान। इसलिए, प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं है कि जैसा कि उल्लेख किया गया है, प्रावधान के अर्थ के भीतर बिक्री मानी जाए।

उक्त अधिनियम के ऊपर, माल का कानूनी हस्तांतरण होना चाहिए या

कि लेन-देन पट्टे की तरह होना चाहिए।

6. जहाँ माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण होता है

विचार करने पर, उक्त अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान की आवश्यकता पूरी हो जाती है, और इसे बिक्री माना जाता है। में।

तत्काल मामले में, मूल्यांकनकर्ताओं के पास शटरिंग का स्वामित्व था। वे.

बिल्डरों और इमारत को विचार के लिए शटर स्थानांतरित कर दिया गया

भवनों के निर्माण में उपयोग के लिए ठेकेदार। वहाँ हो सकता है,

इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक मानित बिक्री की आवश्यकताएँ उक्त के उपर्युक्त प्रावधान के अर्थ के भीतर

अधिनियम संतुष्ट हैं। "

61. राज्य में इस निर्णय का एक संदर्भ भी दिया गया है।

रीसा और एन. आर. वी. एशियाटिक गैस लिमिटेड, (2007) 5 एस. सी. सी. 766 जिसमें

माल के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण की प्रकृति है,

एस. एस. ई. डी. और अग्रवाल ब्रदर्स (ऊपर) पर इस प्रकार भरोसा किया गया हैः

9] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 8. अंत में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 2 (जी) (iv) को संविधान के अनुच्छेद 366 (29-ए) (डी) के संदर्भ में क़ानून पर रखा गया था। अग्रवाल ब्रदर्स में। वी. हरियाणा राज्य, (1999)

9 एस. सी. सी. 182 इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 की धारा 2 (1) (iv) के तहत प्रावधान [जो इस अधिनियम की धारा 2 (जी) (iv) के समान था] स्पष्ट रूप से "वस्तुओं के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण" की बात करता है और नहीं " माल का हस्तांतरण "। उस मामले में, निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया था कि धारा 2 (1) (iv) के अर्थ के भीतर एक मानित बिक्री के मामले में, माल का कानूनी हस्तांतरण होना चाहिए। इस तर्क को इस न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कर की वसूली

यह स्वयं माल के हस्तांतरण पर नहीं था, बल्कि शुल्क विचार के लिए ऐसे माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण पर था। हमारे देश में

देखने के लिए, अग्रवाल मामले में इस अदालत का फैसला होगा वर्तमान मामले में पूरी तरह से लागू होता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, चिकित्सा ऑक्सीजन/औद्योगिक गैस से भरे सिलेंडर

ग्राहकों को ऋण दिया गया। ऋण से मुक्त था

14 दिनों के लिए शुल्क का भुगतान। अधिक प्रतिधारण शुल्क 14 दिनों के बाद लगाया गया था। इन परिस्थितियों में, लेवी पर था

विचार के लिए माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण।

62. अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि वित्त अधिनियम में संशोधन किया गया था और दिनांक 10.5.2008 का स्पष्टीकरण दिया गया है। जारी किया गया है कि सेवा कर चार्टर पार्टी समझौते पर लगाया जाना है। इसलिए यह आग्रह किया गया कि इसे ऐसा नहीं माना जा सकता है

बिक्री माना जाता है। सेवा कर के बारे में उक्त स्पष्टीकरण किसी भी कारण को आगे नहीं बढ़ाता है क्योंकि सेवा कर लगाने की अनुमति है या नहीं, इस न्यायालय द्वारा जांच किए जाने वाला प्रश्न नहीं है। तत्काल मामले में सवाल यह नहीं है कि क्या सेवा कर लगाया जा सकता है। मामले में शामिल सवाल केवल इस हद तक है कि क्या कर्नाटक राज्य केएसटी अधिनियम के अनुच्छेद 366 (29 ए) (डी) में निहित प्रावधानों को देखते हुए केएसटी अधिनियम की धारा 5 सी के तहत मानित बिक्री पर बिक्री कर का एहसास कर सकता है।

संविधान। इस प्रकार, हम सेवा कर के संबंध में उपरोक्त अधिसूचना/स्पष्टीकरण के प्रभाव में जाने से बचते हैं। यह सवाल नहीं है।

मामले में शामिल।

इन रेः क्षेत्रीय जल में अधिकार और देनदारियाँ

63. क्षेत्रीय जल के संबंध में, तटीय राज्य किस हद तक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, इस पर उच्च न्यायालय और द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी द्वारा विचार किया गया है।

लिमिटेड। वी. कर्नाटक राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। उच्च न्यायालय ने इस सवाल पर गौर किया है कि क्या भू-भाग से सटे क्षेत्रीय जल कर्नाटक राज्य का हिस्सा हैं। यह विवादित नहीं था कि क्षेत्रीय जल का विस्तार भू-भाग से 12 समुद्री मील तक है जो आधार रेखा है। अनुच्छेद 297 पर उच्च न्यायालय और संविधान की 7 वीं अनुसूची की सूचियों द्वारा विचार किया गया है। सूची I की प्रविष्टियाँ 25 से 27 और 30, सूची III की प्रविष्टियाँ 32, अर्थात समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है।

समुद्री और मत्स्य पालन अधिनियम, 1986 की धारा 2 (जे) में दी गई राज्य की परिभाषा, 7 वीं अनुसूची की राज्य सूची II की प्रविष्टियां 13 और 21 और सूची II की मत्स्य पालन प्रविष्टि 21 के संबंध में। 65. हमें उपरोक्त प्रश्नों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, जैसा कि उच्च न्यायालय ने एक निष्कर्ष दिया है, और फंसाने पर, तटीय

राज्यों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है क्योंकि उन्हें नोटिस जारी किए गए थे। हमें क्षेत्रीय जल के बारे में राज्यों और केंद्र सरकार के अधिकार के संबंध में सवाल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि के. एस. टी. अधिनियम के तहत स्थिति के कारण कर लगाने के बारे में हमारे निष्कर्ष हैं।

जहाँ पोत का उपयोग करने का हस्तांतरण अधिकार, जो एक मानित बिक्री है, हुआ था। इस प्रकार, हम इस प्रश्न को खुला छोड़ते हैं और इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को कमजोर करते हैं।

पोर्ट ट्रस्ट। हालांकि पोत का उपयोग क्षेत्रीय जल में किया जाता था, लेकिन 20 वीं शताब्दी में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए केएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिक्री-कर की अनिवार्यता के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता है। (ऊपर), जिसकी बी. एस. एन. एल. (ऊपर) में पुष्टि की गई है और इस न्यायालय के विभिन्न अन्य निर्णयों में इसका पालन किया गया है।

67. अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय को इस मामले को संबंधित मूल्यांकन अधिकारियों को इस पहलू पर निर्णय लेने के लिए भेजना चाहिए था कि क्या पोत के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण को देखते हुए बिक्री मानी गई थी। प्रस्तुतिकरण अपीलार्थी कंपनी के रूप में असमर्थनीय है।

उसने रिट याचिका दायर की, और उसके द्वारा एक रिट अपील भी दायर की गई। उन्होंने न केवल उच्च न्यायालय के समक्ष बल्कि इस न्यायालय के समक्ष [2019] 17 एस. सी. आर. के रूप में योग्यता के आधार पर प्रस्तुत किया है।

खैर, गुणों पर समझाने में विफल रहने के बाद उन्होंने उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को उठाया है वह भी एक विकल्प के रूप में अंतिम छोर पर। उनके पास है।

नोटिस पर सवाल उठाया और निर्णय आमंत्रित किया। एक बार जब यह उनके खिलाफ चला जाता है; वे यह प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि इस प्रश्न को निर्णय के लिए मुकदमे के एक और दौर में लिया जाना चाहिए

संबंधित कर अधिकारी मूल्यांकन कर रहे हैं। प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से असमर्थनीय है और खारिज कर दिया जाता है।

68. परिणामस्वरूप, हम मानते हैं कि चार्टर पार्टी समझौता एक मानित बिक्री के समान है क्योंकि कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम की धारा 5 डिग्री सेल्सियस या धारा 2 (जे) के साथ पठित अनुच्छेद 366 (29ए) (डी) में प्रदान किए गए पोत का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण था। इस प्रकार, लेन-देन पर कर्नाटक राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा कर लगाया जाना चाहिए। हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा निर्णय में दर्ज किए गए कारणों के कारण, अपील गुणदोष के बिना है और खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

या

चिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी